अध्याय – प्रथम

भूमिका

1.1 समस्या अभिकथन :–

किसी भी समस्या पर शोध कार्य करने से पूर्व यह देखना आवश्यक है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से उस समस्या का हल कितना आवश्यक है, अर्थात् उस समस्या पर शोध कार्य किया जाए तो इससे समाज एवं राष्ट्र को कितना एवं क्या लाभ होगा।

मनरेगा चूंकि ग्रामीणों का मुख्य रोजगार का साधन बन चुका है। ग्रामीणों को रोजगार दिये बिना विकास किया जाना असम्भव है और उत्तम एवं समुचित रोजगार के लिए आवश्यक है मनरेगा कार्य की, जिसमें उपस्थित बाधाओं को दूर कर ग्रामीण (मनरेगा श्रमिक) के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

मनरेगा ग्रामीणों के रोजगार का मुख्य साधन बन चुका है। मनरेगा में विकास के बिना ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर पाना असम्भव सा लगता है।

मनरेगा को सुचारु रूप से चलाने के लिए केवल मनरेगाकर्मी ही महत्वपूर्ण नहीं हैं तथा इनको रोजगार देना ही काफी नहीं है और इसका ज्ञान केवल अधिकारी तंत्र को ही होना जरूरी नहीं बल्कि मनरेगा श्रमिकों तक जानकारी पहुंचाना जरूरी है।

यह समस्या केवल मनरेगा कर्मियों के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अन्य दृष्टिकोणों से भी महत्वपूर्ण है।

1. अधिकारी तंत्र की दृष्टि से
2. मनरेगा कर्मियों की दृष्टि से

3. समाज की दृष्टि से

4. सरकार की दृष्टि से

5. अनुसंधान की दृष्टि से

1.2 परिचय :–

मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल 100 दिवस का समुचित रोजगार प्रदान करने की केन्द्र परिवर्तित योजना, जिसका शुभारम्भ 2 फरवरी, 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के नरपाला मण्डल की बंढला पल्ली ग्राम पंचायत में किया गया। योजना के प्रथम चरण में 200 जिलों व द्वितीय चरण (01.04.2007) में अन्य 130 जिलों में लागू किया गया। 113 जिले 01 अप्रैल, 2007 से अधिसूचित किये गये और उत्तर प्रदेश में 17 जिले 15 मई, 2007 से अधिसूचित किये गये थे। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) के चल रहे कार्यक्रमों और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को इन जिलों में MGNREGA के अन्तर्गत मिला दिया गया। वर्ष 2007–08 में MGNREGA का विस्तार करते हुए इसे 330 जिलों में लागू कर दिया गया। वर्ष 2008–09 (01 अप्रैल, 2008) में इसे देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया और 2009–10 में योजना का क्रियान्वयन 619 जिलों में किया गया। वर्ष 2014–15 से देश के समस्त 626 ग्रामीण जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है।

मनरेगा एक माँग आधारित स्कीम है जिसका केन्द्र बिन्दू जल संरक्षण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उद्धार (वाणिकी/वृक्षारोपण सहित) भूमि विकास, बाढ़ नियन्त्रण/ संरक्षण (जल ठहराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी सहित) और सभी मौसमों में अच्छी सड़कों हेतु सड़क सम्बद्धता से सम्बन्धित क्षेत्रों पर ध्यान देना रहा है। केन्द्र व राज्य

सरकार का अंशदान 2014–15 में महात्मा गांधी नरेगा प्रतिवेदन के अनुसार 90:10 था, जो अब 75:25 है।

वित्त पोषण :–

(1) निम्नलिखित मदों पर आने वाली लागत का वहन केन्द्र सरकार करेगी :–

1. अकुशल शारीरिक श्रमिकों की मजदूरी की पूरी लागत।
2. सामग्री लागत तथा कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों की मजदूरी का 75 प्रतिशत अंश।
3. प्रशासकीय व्यय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा और जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कार्यक्रम अधिकारी तथा उसके सहायक कर्मचारियों के वेतन व भत्ते तथा कार्यस्थल सुविधाओं की लागत शामिल होगी।
4. राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् के खर्चे।

(2) निम्नलिखित मदों पर आने वाली लागत का वहन राज्य सरकार करेगी :–

1. सामग्री लागत तथा कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों के वेतन का 25 प्रतिशत अंश।
2. बेरोजगारी भत्ता, यदि राज्य सरकार समय पर मजदूरी रोजगार उपलब्ध नहीं करवाती।
3. राज्य रोजगार गारन्टी परिषद् के प्रशासकीय व्यय।

प्रधानमन्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 14वीं जयन्ती 2 अक्टूबर, 2009 पर नरेगा का नया नामकरण किया। अब नरेगा को महात्मा गांधी के नाम पर ''महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम'' (मनरेगा) से पुकारा जाता है।

राजस्थान में मनरेगा :–

यह योजना ऐसी पहली विकास/रोजगार योजना है जिसे कानूनी आधार प्रदान किया गया है। यह अधिनियम सितम्बर, 2005 में पारित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 के तहत राजस्थान में यह योजना ''राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना – 2006'' के नाम से लागू की गई है। राजस्थान में 2 फरवरी, 2006 को माकड़ादेव ग्राम पंचायत (झाड़ोल, उदयपुर) में इस योजना का शुभारम्भ किया गया।

मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2009–10 में सर्वाधिक रोजगार प्रदान किये गये। इस प्रकार राज्य इस योजना में देश में प्रथम स्थान पर रहा। इसके बाद आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, तमिलनाडू एवं बिहार का स्थान रहा।

राज्य रोजगार गारन्टी कोष :–

मनरेगा की धारा 21(1) के तहत राज्यों को राज्य रोजगार गारन्टी कोष स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं। ग्यारह राज्यों राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडू, पंजाब और गुजरात में राज्य कोष स्थापित कर दिये गये हैं।

मनरेगाकर्मी व इससे जुड़े सदस्यों के परिवार दोनों समाज के अभिन्न अंग है। उनमें से किसी एक सदस्य का भी शोषण होगा तो समाज खुशहाल तथा सुखी नहीं हो सकता है। आँकड़ें बताते हैं कि समाज के सन्तुलन, विकास तथा समृद्धि के लिए मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। मनरेगा कार्य को सफल बनाने से तात्पर्य है – सम्पूर्ण समाज व गाँव के विकास में सहयोग करना।

रोजगार गारन्टी योजनाओं का निर्धारण :–

1. प्रत्येक राज्य सरकार (जहाँ अधिनियम अधिसूचित किया जा चुका है) को

अधिनियम के अनुच्छेद 4 के अनुसार एक ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना तैयार करनी होगी।

2. अधिनियम में कुछ ऐसे विधिसम्मत् मानक दिए गए हैं जिनके भीतर राज्य सरकारें अपने–अपने परिवेश और आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार गारन्टी योजना की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। अधिनियम की अनुसूची – I में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के न्यूनतम आयामों को सूत्रबद्ध किया गया है, जबकि अनुसूची - II में इस योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस दिशा–निर्देश पुस्तिका के परिशिष्ट ए–1 में अन्य महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (REGS) तैयार करते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

3. ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना और उससे सम्बन्धित सभी दस्तावेजों पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम स्पष्ट रूप से ऊपर के हिस्से में छपा होना चाहिए, जिससे इस योजना के तहत दिये जा रहे अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को आवश्यक कानूनी वैधता प्राप्त हो जाये।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ :–

1. पंजीकरण :–

(क) किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर परिवार के व्यस्क सदस्य और ग्राम पंचायत के क्षेत्र के हाथ से अकुशल काम करने को इच्छुक हर व्यस्क को, जिसके कार्यक्षेत्र में वे रहते हैं, अपने परिवार के पंजीकरण के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को नाम, उम्र और घर के पते जमा करवा सकते हैं।

(ख) पंजीकरण की इकाई परिवार होगा।

(ग) इस अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यस्क व्यक्ति हर साल 100 दिन के रोजगार के लिए अधिकृत होगा।

2. जॉब कार्ड :–

(क) सदस्य/सदस्यों (केवल व्यस्क सदस्य ही रोजगार के लिए योग्य होंगें) के निवास स्थान तथा उम्र की समुचित जाँच के बाद पंजीकृत परिवार को एक जॉब कार्ड जारी किया जायेगा।

(ख) पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी किया जाता है। जॉब कार्ड रोजगार की मांग के लिए पहचान का आधार है।

(ग) जारी किया गया जॉब कार्ड कम से कम पांच साल के लिए मान्य होगा, उसके बाद विधिवत् सत्यापन के बाद इसका नवीनीकरण किया जा सकता है।

3. काम के लिए आवेदन :–

(क) काम के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में वार्ड सदस्य या ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को या टेलीफोन या मोबाईल या इन्टरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से या कॉल सैन्टर के माध्यम से या बैवसाईट के माध्यम से या इस उद्देश्य के लिए स्थापित किसी काउंटर के माध्यम से या राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य साधनों के माध्यम से दिया जा सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत व्यक्ति को रोजगार के लिए लिखित आवेदन की एवज में एक दिनांक युक्त रसीद जारी करेंगें। इसकी एवज में 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाने की गारन्टी दी जायेगी।

4. बेरोजगारी भत्ता :–

(क) यदि काम की मांग के पंजीकरण की तिथि या निर्धारित तिथि से काम मांगने के लिए अग्रिम आवेदन के मामले में 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता का पात्र होगा/होगी।

5. कार्य का प्रावधान :–

(क) गांव की 5 किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर काम उपलब्ध करवाया जाता है।

(ख) यदि काम 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उपलब्ध करवाया जाता है तो अतिरिक्त परिवहन और रहने के खर्च को पूरा करने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी देय है।

(ग) महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे इस योजना के तहत लाभार्थियों में कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होती हैं। अकेली और विकलांग महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

(घ) लागत मामले में, कम से कम 50 प्रतिशत काम ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जाने चाहिए।

(ड़) स्वच्छ पेयजल, बच्चों के लिए छाया और मामूली चोटों और अन्य स्वास्थ्य खतरों के लिए आपातकालीन उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ आराम का समय और फर्स्ट–एड बॉक्स जैसी कार्यस्थल की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

मजदूरी :–

महिला–पुरुषों को समान मजदूरी 73/– रूपये प्रतिदिन थी, बाद में 01 जनवरी, 2011 को 119/– रूपये प्रतिदिन कर दी गई, जो 2014–15

में 135/– रूपये प्रतिदिन थी, जो अब 185/– रूपये प्रतिदिन है। न्यूनतम मजदूरी दरें कृषि–श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर आधारित होगी। महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना भी मनरेगा के तहत उपलब्ध करवाई गई है।

(क) मजदूरी का भुगतान मास्टर रोल के बन्द होने के तीन दिन के भीतर अधिकृत कर्मियों द्वारा कार्यस्थल पर लिये गये माप के आधार पर किया जायेगा।

(ख) भारत सरकार और राज्य की ओर से अधिसूचित मनरेगा वेतन के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

(ग) मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जायेगा और किसी भी मामले में एक पखवाड़े से अधिक देर नहीं की जायेगी।

मनरेगा स्थापना के बाद से कार्यक्रम के परिणाम :–

स्थापना के बाद से महात्मा गांधी नरेगा ने रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण भारत में सबसे कमजोर और सबसे उपेक्षित समुदाय की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया है।

बढ़ी मजदूरी से आमदनी और आजीविका :–

महात्मा गांधी नरेगा ने काफी संख्या में लाभार्थियों को बुनियादी आय सुरक्षा प्रदान किया है। यह योजना औसतन हर साल लगभग 5 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान करती है। यह देश के कुल ग्रामीण परिवारों का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। शुरुआत के बाद से ही महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम ने दिसम्बर, 2013 तक 1575 करोड़ श्रम दिवस रोजगार का सृजन किया है, जबकि 2016 में 153078 कार्यरत परिवारों को 9456662 जनित व्यक्ति दिवस रोजगार दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2013–14 (दिसम्बर, 2013 तक) 1550.00 करोड़ रूपये मजदूरी पर खर्च किये गये। यह रकम कुल खर्च का लगभग 70 प्रतिशत है। योजना की अधिसूचित मजदूरी में सभी राज्यों में 2006 के बाद से वृद्धि हुई हैं। प्रति लाभार्थी अर्जित औसत वेतन 2006 में 65/– रूपये से बढ़कर वर्ष 2013 में प्रति व्यक्ति 124/– रूपये प्रतिदिन था, जो 2014–15 में 135/– रूपये प्रतिदिन एवं 2015–16 में 185/– रूपये प्रतिदिन हो गया। (स्त्रोत : महात्मा गांधी नरेगा प्रतिवेदन)

समावेशी विकास :–

प्रमाणों से पता चलता है कि महात्मा गांधी नरेगा आत्म–लक्ष्यीकरण कार्यक्रम के रूप में सफल हो रहा है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित वंचित समूहों की काफी अधिक भागीदारी है। राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के तहत उपलब्ध करवाये गये रोजगार में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध करवाये गये कार्यों की हिस्सेदारी बहुत अधिक है और योजना के कार्यान्वयन के वर्षों में 40–60 फीसदी के बीच रहा है। इस योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी दर ज्यादातर राज्यों में कुल जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सेदारी से अधिक है।

महिला सशक्तिकरण :–

अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों और उसके दिशा–निर्देशों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को रोजगार तक समान रूप से और आसानी से पहुंच हो सके, उन्हें बेहतर कार्य परिस्थितियां मिलें, उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी मिले और निर्णय लेने वाले निकायों में उनका प्रतिनिधित्व हो सके। वित्तीय वर्ष 2006–07 से वित्तीय वर्ष 2015–16 (मार्च 2016 तक)

महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और यह कुल सृजित व्यक्ति दिवस में से 40 से 51 प्रतिशत के बीच हो गई है, जो 33 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम आवश्यकता से कहीं अधिक है।

दरअसल इस योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी दर काम के सभी दर्ज रूपों से अधिक रहा है। शोध अध्ययनों से यह भी संकेत मिला है कि महात्मा गांधी नरेगा महिलाओं के लिये कार्य के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, अन्यथा वे बेरोजगार या अर्द्ध–बेरोजगार बनी रहतीं।

कृषि क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में मनरेगा योजना के माध्यम से वृद्धि :–

मनरेगा से सम्बन्धित सूक्ष्म और लघु सिंचाई योजनाओं के अच्छे उत्पादन के फलस्वरूप सिंचाई और अन्य सुविधाओं में वृद्धि के साथ एकल फसल पैटर्न से दोहरे फसल पैटर्न में एक स्थित वृद्धि हुई है। अधिकतम लाभ गर्मियों की धान की खेती वाले क्षेत्रों के लिए है, जहां किसान उन्नत उपज देने वाली किस्मों (HYVs) और संकर प्रजाति (हाईब्रिड) के साथ क्षेत्रों का उर्ध्वाधर विस्तार कर सकते हैं। चावल के सम्बन्ध में क्षेत्र विस्तार का प्रमुख योगदान गर्मियों में धान की खेती के माध्यम से स्पष्ट था, जहां वास्तव में बाढ़ और सूखे का कोई खतरा नहीं है।

किसानों की आजीविका में सुधार :–

मनरेगा योजनाओं ने ग्रामीण सम्पर्क और खेती के क्षेत्रों में पहुँच में सुधार किया और परिणामस्वरूप भीतरी प्रदेशों के क्षेत्रों के किसान बेहतर विपणन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें और उनकी आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार देखा जा सकता है। विशिष्ट उदाहरण है – नागांव जिले में धान के प्रांगण पर मनरेगा योजना का अप्रत्यक्ष प्रभाव; जहां किसान अपने उत्पाद स्थानीय व्यापारियों को बेचा और न्यूनतम मूल्य प्राप्त किया करते थे। प्रभाव सकारात्मक है तथा और अधिक किसान

अपनी पैदावार को बेचने के इच्छुक हैं और इस वर्ष भी जिला प्रशासन जिले में सभी धान उपजाने वाले क्षेत्रों को आवृत्त करते हुए और अधिक खरीद केन्द्रों को खोलने की योजना बना रहा है।

राजस्थान मनरेगा :–

राजस्थान के सभी जिलों में मनरेगा क्रियान्वयन में है। मनरेगा ने राज्य के गांवों में रोजगार के नये द्वार खोले हैं। राज्य सरकार मनरेगा के कारगर क्रियान्वयन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। राज्य में मनरेगा योजना के अन्तर्गत पूर्णतः प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आन्ध्रप्रदेश सरकार की तर्ज पर सामाजिक अंकेक्षण के लिए पृथक से सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय का गठन किया गया है। मनरेगा के अधिक वित्तीय आवंटन को देखते हुए राज्य से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक लेखा शाखा को मजबूत किया गया है।

मनरेगा के मुख्य उद्देश्यों में पर्यावरण रक्षा सम्मिलित है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मनरेगा से 'हरित राजस्थान' को जोड़ते हुए पूरे प्रदेश में युद्धस्तर पर वृक्षारोपण की मुहिम चलाई है। राजस्थान में मनरेगा द्वारा उपलब्ध वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण, वन संरक्षण और चारागाह विकास के कार्य प्रमुखता से कराये जाने लगे हैं। सड़कों के किनारे वृक्षों की सघन श्रृंखला विकसित की जा रही है।

हरित राजस्थान :–

हरित राजस्थान मनरेगा द्वारा सामाजिक बदलाव की प्रमुख देन/कृति है।

विश्व में आर्थिक विकास की दौड़ के कारण पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ चुका है। आज प्राकृतिक आपदाएँ, खाद्यान संकट, ऊर्जा संकट आदि घटनाएँ बढ़ रही हैं। इन सब संकटों का सम्बंध सामान्यतः जलवायु परिवर्तन से है। प्राकृतिक

संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण प्रकृतिजन्य संकट उत्पन्न हो गये हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। समुद्री जल स्तर के बढ़ने से भू–भाग तेजी से घट रहा है। पवित्र गंगा नदी भी प्रदूषण से ग्रसित हो गई है। आकाश की ओजोन परत के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इसमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता घट चुकी है। पृथ्वी का तापमान निरन्तर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देश और अन्य परमाणु शक्ति सम्पन्न देश जिम्मेवार हैं। इन देशों के विकास से बढ़ता कार्बन उत्सर्जन लोगों की सहन करने की क्षमता से बहुत अधिक बढ़ चुका है। प्राकृतिक संसाधनों के निर्मम संहार के चलते जलवायु परिवर्तन ज्वलंत समस्या और बड़ी चुनौती है।

राजस्थान में वन क्षेत्र :–

मनरेगा कार्यक्रम के द्वारा भी वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान में वर्ष 2005–06 में कुल वन क्षेत्र 32,627 वर्ग कि.मी. था जो राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.54 प्रतिशत है। यह वन प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत होने से बहुत कम है, किन्तु वर्ष 2000–01 में राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत 7.60 था। इस प्रकार पांच वर्षो में 1.90 प्रतिशत वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है जो सकारात्मक है।

वन पर्यावरणीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। वनों का महत्व अतीत से है। एक वृक्ष लगाने के महत्व को गुणवान पुत्रों के बराबर माना गया है। भारतीय संस्कृति में लोग वृक्षों को पूजते आ रहे हैं। वृक्षों से प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है। जीवन में वृक्षों का अधिक महत्व है। इसके बावजूद भी लोग वृक्षों को काटने से नहीं चूकते हैं। ऐसे लोग निजी स्वार्थो की पूर्ति के लिए भविष्य को भूल कर स्वंय के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।

हरित राजस्थान का शुभारम्भ :–

दुनिया जलवायु में परिवर्तन से चिन्तित है। राजस्थान में जल स्तर के गिरने से पानी की समस्या गम्भीर हो चुकी है। पर्यावरण की चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर 'हरित राजस्थान' अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने 'हरित राजस्थान' का शुभारम्भ 18 जून, 2009 को शिक्षा संकुल प्रांगण, जयपुर में वृक्षारोपण कर किया। हरित राजस्थान केवल एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि पूरे पांच वर्ष और इससे आगे भी निरन्तर क्रियान्वित करने का कार्यक्रम है। स्पष्ट है कि यह किसी समय विशेष के लिए नहीं अपितु सतत् चलने वाली गतिविधि है। हरित राजस्थान राज्य सरकार का एक ऐसा महाभियान है जिससे आने वाले वर्षो में राज्य में वन क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री की पहल पर हरित राजस्थान को मनरेगा से जोड़ा गया है। इससे गाँवों के नागरिकों की वृक्षारोपण में भागीदारी निर्धारित हो गई है। गाँव के गरीबों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

जन चेतना :–

डूंगरपुर के खेमारू गांव में 12 अगस्त 2009 को एक ही दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक छः लाख पौधे लगाने का विश्व का अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया गया है। एक साथ इतनी संख्या में पौधे लगाने से जनचेतना जागृति को बल मिलेगा।

वन विकास के कदम :–

राज्य में वन क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीण युवाओं में पर्यावरण वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए युवकों को वन मित्र के रूप में

रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गई है। वन रक्षकों के रिक्त पदों को भरने तथा नये वन रक्षकों की भर्ती की पहल की गई है।

वन्य जीवों की सुरक्षा :–

राजस्थान में बाघों की सुरक्षा के लिए केन्द्र परिवर्तित योजना के तहत 'बाघ संरक्षण बल' के गठन की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं। रणथम्भौर और सरिस्का में बाघों की वंशवृद्धि में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बाघों का डी. एन.ए. टैस्ट कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इससे शिकार के मामले की जांच आसान हो जायेगी। साथ ही वन्य जीवों में पारिवारिक रिश्तों के प्रभाव का आकलन भी आसानी से हो सकेगा। रणथम्भौर के बाघों से सरिस्का अभ्यारण्य को फिर से आबाद किया जा रहा है। रणथम्भौर नेशनल पार्क (सवाई माधोपुर) की गिनती देश के श्रेष्ठ बाघ परियोजना क्षेत्रों में होती है।

हरित राजस्थान की प्रगति :–

राजस्थान सरकार ने सम्पूर्ण राजस्थान में वर्ष 2009 में अगस्त माह के अन्त में 30 हजार हैक्टेयर में वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान में 'हरित राजस्थान' अभियान के अन्तर्गत सितम्बर–अक्टूबर, 2009 तक लगभग 50 हजार हैक्टयेर भूमि में 2.50 करोड़ पौधे लगाये गये हैं। सड़कों के किनारे भी 394 कि.मी. रोड़ सहारे 44,772 पौधे लगाये गये हैं। हरित राजस्थान अभियान में राज्य सरकार के साथ–साथ निजी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, ट्रस्टों और शिक्षण संस्थानों, नरेगा कर्मियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य में हरित राजस्थान की प्रभावी शुरूआत हुई है। 'हरित राजस्थान' की सफलता राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं के साथ मानसून पर भी निर्भर करती

है। 'हरित राजस्थान' वृक्षारोपण का महाभियान है। इस कारण कम बरसात का असर पौधे के संरक्षण पर पड़ सकता है, मगर यह निश्चित है कि 'हरित राजस्थान' अभियान से राज्य का वन क्षेत्र बढ़ेगा।

सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का ज्ञान :–

मनरेगा के कारण लोगों को सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का पूर्णतः ज्ञान हो गया है कि व्यक्ति को अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पर पर्याप्त रूप से निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य की क्रियाएं इसी वातावरण के साथ जुड़ी रहती हैं।

सार्वजनिक भावना का विकास :–

मनरेगा कार्यक्रम के दौरान लोगों में अपनत्व की भावना खत्म हो जाती है और नई सोच पैदा होती है। इन सदस्यों के साथ रहते हुए उसे सामाजिक जीवन की कुछ–कुछ अनुभूति हो चुकी होती है। इसी अनुभूति को आधार बनाते हुए उसे ज्ञान प्रदान करना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक जीव है तथा समाज परिवार तक सीमित नहीं होता। समाज की विस्तृत सीमाओं में उसका मोहल्ला, गांव, नगर आदि आते हैं। उसे इस बात का ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि समाज के प्रति कुछ कर्त्तव्य हैं जिनके पालन में समाज का नहीं, बल्कि उसका अपना हित भी निहित है।

विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान :–

मनरेगा कार्यस्थल पर उनके मौलिक साधनों का ज्ञान प्राप्त होता है जिनके सतत् प्रयोग से मानव जीवन को सम्भव बना पाया है। भौतिक साधनों में वायु, धरती, जल, मिट्टी, वन, पर्वत, खनिज पदार्थ तथा वनस्पतियाँ आदि आती है। मनरेगा कर्मियों को अनुभव होता है कि ये प्राकृतिक साधन जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण

हैं। जब यह बात व्यक्ति आत्मसात् कर लेता है, तब स्वाभाविक है कि वह इन साधनों के संरक्षण तथा इनके उचित प्रयोग की ओर अग्रसर होगा।

श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण :–

इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले व्यक्तियों को यह अनुभव होता है कि प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए मानव साधनों की आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक साधनों का मानवीय श्रम के बिना वांछित लाभ उठाए नहीं जा सकते। अतः श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। धर्म के प्रति आस्था उन्हें आगे चल कर श्रम करने के लिए प्रेरित करेगी।

विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है :–

इस कार्यक्रम से ज्ञान हो जाता है कि विकास की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। परिणाम स्वरूप मानव का भविष्य उज्ज्वल है। आगे चल कर उन्हें भी विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस प्रकार की भावना से उनमें भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप वे समाज के उपयोगी सदस्य बन जाते हैं।

राष्ट्रीय भावना का निर्माण :–

मनरेगा के दौरान व्यक्तियों में राष्ट्रीय भावना के संस्कार उत्पन्न होते हैं। वे अच्छी तरह से अवगत हो जाते हैं कि हमारा देश विभिन्नताओं तथा विविधताओं का देश है। इसमें विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। लोगों के पहनावे तथा रीति–रिवाजों में अंतर है। इस देश में अनेक धर्मो के लोग रहते हैं, परन्तु सभी विभिन्नताओं तथा विविधताओं के बावजूद भी भारत एक राष्ट्र है और किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ कर राष्ट्र की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है। 'अनेकता में एकता' की भावना का निर्माण करना प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए।

सामाजिक गुणों का विकास :–

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता, लेकिन सफल सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए उसमें प्रेम, सहयोग तथा सहानुभूति जैसे सामाजिक गुणों का विकास होना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति केवल अपने बारे में न सोच कर दूसरों के बारे में सोचे। उसकी 'मैं' का स्थान 'हम भावना' को मिलना चाहिए। जब व्यक्ति मिल कर कार्य करते हैं तो इन सब गुणों एवं भावनाओं का विकास सहज ही हो जाता है। अतः मनरेगा का एक उद्देश्य व्यक्ति को एक कुशल एवं योग्य सामाजिक नागरिक के रूप में तैयार करना है।

आत्मनिर्भरता :–

व्यक्तियों में अपना कार्य स्वंय करने की क्षमता होना भी आवश्यक है। मनरेगा का उद्देश्य इस क्षमता का विकास करना है। मनरेगा में व्यक्ति काम को अच्छे ढंग से करना सीख जाता है। इससे वे ऐसे कार्यों को करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और उनमें शुरू से ही आत्मनिर्भरता का गुण विकसित हो जाता है।

शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का विकास :–

यह कथन बिल्कुल सत्य है कि 'स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। मनरेगा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के इन दोनों पक्षों का विकास करना होता है। मनरेगा कार्य से व्यक्ति का शरीर हष्ट–पुष्ट बनता है, उसमें स्फूर्ति व ताजगी का संचार होता है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल पर कार्य करने से व्यक्ति के सोचने, समझने, कल्पना करने तथा तर्क करने जैसी मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है।

चरित्र निर्माण :–

चरित्र का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मनरेगा में विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ विभिन्न प्रकार के कार्य करवाये जाते हैं जिनमें व्यक्ति में सच्चाई, ईमानदारी तथा भाईचारे की भावना का विकास करने में मदद मिलती है जो कि उसके चरित्र निर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण मुद्दों और कार्यान्वयन को मजबूत बनाने के लिए की गयी पहल :–

महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम जैसे क्रान्तिकारी अधिनियम के सामने अनेक चुनौतियाँ आना स्वाभाविक है क्योंकि यह गरीब ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाता है और माँग प्रेरित एवं अधिकार आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से पारम्परिक पदानुक्रम को बदलने का प्रयास करता है। मंत्रालय ने माँग को सही तरीके से ग्रहण करने, कार्यों की योजना बनाने, विलम्बित भुगतान को रोकने के लिए मस्टर रोल को सही समय पर बन्द करने और खर्चों की बेहतर तरीके से निगरानी जैसे मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं। इनके बारे में संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है :–

1. महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के दायरे का विस्तार :–

महात्मा गाँधी नरेगा और ग्रामीण आजीविका के बीच तालमेल को बढ़ाने, खासतौर पर कृषि पर ध्यान देते हुए महात्मा गाँधी नरेगा के तहत स्वीकार्य कार्यों की सूची में नये कार्यों को जोड़ते हुए विस्तार किया गया है। स्थायी गुणवत्ता परिसम्पत्तियों को सुनिश्चित करने के अलावा, महात्मा गाँधी नरेगा कार्यों के विस्तार होने से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/लघु और सीमान्त किसानों/इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थियों/वन अधिकारी अधिनियम लाभार्थियों जैसे समाज के वंचित तबकों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार होने की संभावना है क्योंकि

ज्यादातर नए कार्य इन तबकों के भूमि या वास भूमि पर किये जाने की अनुमति दी गई है।

2. यथार्थवादी श्रम अनुमानों की तैयारी :–

श्रम बजट अनुमानों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की उपलब्धियों के बीच अन्तर को कम करने के लिए परिचालनात्मक दिशा–निर्देशों श्रम बजट की तैयारी के लिए एक विस्तृत भागीदारी नीचे से ऊपर नियोजन का सुझाव दिया है।

3. काम की माँग को सही तरीके से हासिल करना :–

काम की माँग को सही तरीके से हासिल करने के उद्देश्य से काम के लिए आवेदन को मोबाइल फोनों सहित टेलीफोनों के माध्यम से पंजीकृत किया जा सकता है। इस प्रणाली को अनपढ़ श्रमिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए इन्टरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) और वॉयस इनेवल्ड इंटरैक्शंस को भी शामिल करने के प्रावधान किये जा सकते हैं। इसके अलावा काम के लिए आवेदन एक कॉल सेंटर के माध्यम से या वेबसाईट के माध्यम से या इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक काउंटर के माध्यम से किया जा सकता है।

4. वंचित समूहों की भागीदारी :–

योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अधिनियम के तहत सभी महिला श्रमिकों के लिए बैंक/पोस्ट ऑफिस में व्यक्तिगत खाता खोलने, विधवा, परित्यक्त और बेसहारा महिलाओं की पहचानकर उन्हें जॉब कार्ड उपलब्ध कराने सहित बड़ी पहल करने का सुझाव दिया जा रहा है।

5. श्रमिकों को संगठित करना :–

महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के तहत हकों का उपयोग करने के लिए मजदूरी चाहने वालों को योजना के विभिन्न प्रावधानों के बारे में

जानकारी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान, राज्यों को श्रम समूहों में महात्मा गांधी नरेगा के श्रमिकों को संगठित करने के लिए कहा गया है। यह श्रमिकों को सामूहिक रूप से आवाज उठाने और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी की मांग के पंजीकरण की सुविधा हासिल करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। समूहों में श्रमिकों को संगठित करने के लिए एक रूपरेखा का महात्मा गांधी नरेगा संचालित दिशा–निर्देशों में उल्लेख किया गया है।

6. कमजोर वर्ग के लिए हस्तक्षेप :–

विकलांग और अन्य कमजोर व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को महात्मा गांधी नरेगा गतिविधियों में उन्हें शामिल किए जाने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सलाह दी गई है। राज्यों को कार्य एवं समय प्रस्ताव का अध्ययन कराना होगा और शारीरिक रूप से विकलांग और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए दरों की एक अलग अनुसूची (एसओआर) तैयार करनी होगी।

एक कार्य के साथ कम से कम एक गहन सार्वजनिक श्रम कार्य, जो विशेष रूप से कमजोर समूहों विशेषकर वृद्ध और विकलांग के लिए उपयुक्त हो, उनकी मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराने के लिए हर समय विकल्प खुला रखा जायेगा।

इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ई–एफएमएस) :–

मजदूरी के भुगतान में देरी को कम करने के लिए मंत्रालय ने 'इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली (ई–एफएमएस) की शुरूआत की है। इसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पुंडुचेरी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है और इसके जरिये कोर बैंकिग प्रणाली की मदद से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में मजदूरी का भुगतान कर दिया

जायेगा। ई–एफएमएस से वास्तविक समय पर भुगतान होगा तथा भुगतान में देरी या कम भुगतान की समस्या समाप्त हो जायेगी। सभी गैर ई–एफएमएस राज्यों को फरवरी 2014 के अंत तक ई–एफएमएस प्रणाली को स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

डाक घरों के साथ ई–एफएमएस (संचय पोस्ट) के जरिये मजदूरों के डाकघर खातों के लिए वास्तविक समय निधि प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

व्यय आधारित फंड रिलीज प्रणाली (ई–एफआरएस) :–

ई–एफएमएस का निर्माण निधि प्रवाह को इस तरह से सुव्यवस्थित करता है कि हर राज्य हर समय कार्यान्वयन के लिए धन को सुनिश्चत कर सके। अब वादा किये गये व्यय पर नहीं, बल्कि वास्तविक व्यय के आधार पर राज्यों को धन की रिहाई की अनुमति देने का फैसला किया जाता है। व्यय आधारित फंड रिलीज सिस्टम (ई–एफएमएस) पर उपलब्ध धन को न्यूनतम आश्वासित स्तर में इस तरह से सुनिश्चित करता है कि क्षेत्र स्तर पर न तो पार्किंग और न ही कार्यक्रम धन की कमी हो।

ई–एफएमएस की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

(क) स्वीकृति आदेश (केन्द्र से जारी की जाने वाली मंजूर धनराशि श्रम बजट और राज्य के प्रारम्भिक बैंलेस की स्वीकृति के बाद खाते में आयेगी) हर साल 1 अप्रैल और 1 नवम्बर को साल में दो बार दिया जाएगा।

(ख) प्रत्येक राज्य के लिए एक निश्चित न्यूनतम फंड (एमएफए) जो कि ऐतिहासिक (मौसमी सहित) मान्यताओं के आधार पर 14 दिन का औसत खर्च है,

तैयार किए जाएंगे। एसईजीएफ पर उपलब्ध धनराशि हर समय इस स्तर पर मैंटेन रखें जाऐंगे।

(ग) जब एमएफए का उल्लंघन किया जा रहा हो तो आगे जारी की जाने वाली धनराशि इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की जाएगी और 24 घंटे के भीतर एसईजीएफ की भरवाई के लिए एमएफए पहुंच जायेगी।

(घ) इस रिलीज को सुविधाजनक बनाने के लिए मनरेगा सॉफ्ट ने दैनिक वक्तव्य की सुविधा उपलब्ध करायी है जिसमें एफएफए के साथ–साथ एसईजीएफ में वर्तमान राशि को दिखाया जाएगा।

(ई) जहाँ एमएफए का उल्लंघन किया गया हो और अधिक धनराशि जारी की गयी हो (स्वीकृत राशि के भीतर) सीपीएसएमएस मंच का उपयोग कर मौजूदा धनराशि जारी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा।

मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची एक और अनुसूची दो को संशोधित किया है। संशोधित अनुसूचियों की कुछ कुछ बातें और केन्द्र बिन्दु निम्न हैं –

1. नकारात्मक सूची :–

वैसे कार्य जो अस्पष्ट मापने योग्य नहीं, दोहराव वाले जैसे घास को हटाना, कंकड़ चुनना, कृषि कार्यों आदि को नहीं लिया जाएगा।

2. व्यक्तिगत सम्पत्ति के सृजन के लिए प्राथमिकता :–

व्यष्टिक आस्तियां सृजित करने वाले सकर्मों को निम्नलिखित से सम्बंधित कुटुंबों के स्वामित्वाधीन भूमि या वास भूमि के सम्बंध में प्राथमिकता दी जाएगी –

(क) अनुसूचित जाति

(ख) अनुसूचित जनजाति

(ग) घुमन्तु जनजाति

(घ) अधिसूचना में से निकाली गई जनजातियां

(ड़) गरीबी रेखा से नीचे के अन्य कुटुंब

(च) महिला प्रधान वाले कुटुंब

(छ) शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले कुटुंब

(ज) भूमि सुधारों के फायदाग्राही

(झ) इंदिरा आवास योजना के अधीन फायदाग्राही

(ञ) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन फायदाग्राहीं, और

इस शर्त के अधीन रहहते हुए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथापरिभाषित लघु या सीमांत किसानों की भूमि पर उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन पात्र फायदाग्राहियों को खाली करने के पश्चात् कि कुटुंबों के पास उनकी भूमि या वास भूमि पर आरम्भ की गई परियोजना पर कार्य करने के इच्छुक कम से कम एक सदस्य के पास कार्य कार्ड होगा।

3. कमजोर वर्ग के लिए हर समय एक कार्य उपलब्ध :–

विशेष रूप से कमजोर समूहों विशेषकर वृद्ध और विकलांग लोगों के लिए उनके उपयुक्त कम से कम कार्य के साथ कम से कम एक श्रम इंटेसिव सार्वजनिक कार्य उनकी मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराने के लिए हर समय उपलब्ध रखा जाएगा।

4. बेरोजगारी भत्ता :–

निर्धारित समय सीमा के भीतर मांग के अनुसार काम उपलब्ध नहीं कराये

जा सकने के मामले में कम्प्यूटर सिस्टम या प्रबंधन सूचना प्रणाली के द्वारा स्वचालित रूप से गणना के रूप में बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा और यह अधिनियम के तहत प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम अधिकारी सिर्फ अप्रत्याशित घटना के आधार पर ही बेरोजगारी भत्ता अस्वीकार कर सकते हैं।

5. स्थानीय सामग्री का उपयोग :–

निर्माण, लागत प्रभारी, श्रम इंटेसिव प्रौद्योगिकियों और स्थानीय सामग्री का उपयोग सहित सभी कार्य जहां तक सम्भव हो उपलब्ध कराये जाऐंगे।

6. केवल माप पर भुगतान :–

भुगतान सिर्फ मस्टर रोल के बंद होने पर तीन दिन के भीतर अधिकृत कर्मियों द्वारा कार्यस्थल पर लिये गये माप के आधार पर किया जाएगा।

7. काम के घंटे :–

विभिन्न अकुशल मजदूरों के लिए मजदूरी की दरों की अनुसूची तय की जाएगी ताकि एक वयस्क व्यक्ति आठ घंटे कार्य कर सके जिसमें एक घंटा आराम का भी शामिल होगा और इसके एवज में प्राप्त मजदूरी निर्धारित मजदूरी दर के बराबर हो। एक वयस्क कार्यकर्त्ता के काम के घंटे में फेर बदल हो सकता है लेकिन किसी भी दिन बारह घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा।

8. दरों की एक पृथक अनुसूची महिला, बुजुर्ग लोगों, विकलांग लोगों और बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए दरों की एक पृथक अनुसूची को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि उत्पादक कार्य के माध्यम से उनकी भागीदारी को बेहतर बनाया जा सके।

9. प्रशासनिक खर्च का एक तिहाई ग्राम पंचायत स्तर पर :–

योजना के तहत अनुमति दी गयी प्रशासनिक लागत का कम से कम एक

तिहाई (1/3) ग्राम रोजगार सहायक और अन्य तकनीकी कर्मियों को दिए गए कार्य के लिए भुगतान करने के लिए और अन्य प्रशासनिक खर्च के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर उपयोग किया जाएगा।

10. समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण हर महीने सभी कार्यों के लिए किया जाएगा।

11. सुभिन्न रंग का विशेष जॉब कार्ड :–

यदि नौकरी चाहने वाला एकल महिला या विकलांग व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति या मुक्त किया गया बंधुआ मजदूर या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से सम्बंधित हो तो उन्हें सुभिन्न रंग का एक विशेष जॉब सुरक्षा कार्ड अवश्य दिया जाना चाहिए जो उन्हें काम उपलब्ध कराने में विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

12. विलंबित भुगतान मुआवजा :–

यदि मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल के बंद होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो ऐसे मामले में, मजदूरी चाहने वाले मस्टर रोल के बंद होने के सोलहवें दिन के बाद देरी के प्रति दिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से, देरी के लिए मुआवजा का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे।

बिजनेस कॉरस्पान्डन्ट मॉडल :–

मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को उनके दरवाजे पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए बिजनेस कॉरस्पान्डन्ट मॉडल स्मार्ट कार्ड और बायो मेट्रिक्स के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया है।

इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल (ई–एमआर) :–

इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल (ई–एमआर) पूर्व मुद्रित मस्टर रोल होते हैं जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम की माँग करने वाले श्रमिकों के नाम डिजिटली दर्ज

होते हैं। ई–एमआर मनरेगा सॉफ्ट के द्वारा निर्मित होता है। भुगतान के लिए निर्धारित समय को कम करने के अलावा ई–एमआर नकली मस्टर रोल को खत्म करने नकली श्रमिकों को कम करने और मनरेगा सॉफ्ट में डेटा एंट्री में सुधार लाने में सहायता करता है।

अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ अभिसरण/सहयोग :–

मंत्रालय ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों या विभागों के साथ अनेक पहल की है। इनमें से प्रमुख अभिसरण/सहयोग निम्नलिखित हैं –

★ पेय जल और स्वच्छता के कुल स्वच्छता अभियान (निर्मल भारत अभियान) के तहत व्यक्तिगत घरेलू लैट्रिन (आईएचएचएल) का निर्माण।

★ महिला और बाल मंत्रालय के समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के साथ मिलकर अभिसरण परियोजना के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण।

★ आँगनबाड़ी सहायिकाओं के द्वारा मनरेगा मजदूरों के द्वारा माँग किये गये कार्य का पंजीकरण।

★ गाँव में खेलने के मैदान के निर्माण के लिए खेल विभाग और युवा मामलों के पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) योजना के साथ अभिसरण।

★ भूमि संसाधन विभाग के समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के साथ अभिसरण।

★ रेशम के कीड़ों का मेजबान पौधों के लेने के लिए कपड़ा मंत्रालय के साथ अभिसरण।

★ रबर प्लाटेशन शुरू करने के लिए रबर बोर्ड और वाणिज्य मंत्रालय की योजनाओं के साथ अभिसरण।

★ क्रमशः बैंकों और डाक घरों के माध्यम से मजदूरी का समय पर भुगतान के लिए वित्तीय सेवा विभाग और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा और विचार विमर्श।

★ ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी में तेजी लाने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं।

★ मनरेगा सॉफ्ट में महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के आधार संख्या की सीडिंग के लिए यूआईडीएआई के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।

कार्यक्रम सलाहकार समूह :–

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक कार्यक्रम सलाहकार समूह (पीएजी) निम्न चीजों के कार्यान्वयन के लिए गठित की गई है (क) महात्मा गाँधी नरेगा परिचालन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन (ख) नीति नियोजन और क्रियान्वयन के मुद्दों का विश्लेषण (ग) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना। पीएजी हकों और आजीविकाओं, प्रक्रियाओं और कार्य विधियों, प्रणालियों और संस्थानों, तकनीकी और प्रौद्योगिकियों को कवर करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा से सम्बंधित नीति और कार्यान्वयन के मुद्दों की पहचान करती है।

राज्य सलाहकार समूह (एसएजी) :–

पीएजी का राज्य स्तर पर अधिक से अधिक प्रभाव पड़ता है, जहां समर्थन सबसे जरूरी है। इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे

अधिक गरीबी और कम रोजगार प्रावधान वाले प्राथमिकता वाले राज्यों में राज्य सलाहकार समूह (एसएजी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

पारदर्शिता और जवाबदेही :–

महात्मा गांधी नरेगा की गतिविधियों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी नरेगा लेखा योजना नियम को जून 2011 में अधिसूचित किया गया है। इस नियम के अनुसार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कम से कम एक वर्ष में दो बार ग्राम सभा के द्वारा आयोजित सामाजिक लेखा परीक्षा आवश्यक है।

★ आठ राज्यों में सामाजिक अंकेक्षण यूनिटें स्थापित की गयी हैं और दस राज्यों में निदेशक सामाजिक अंकेक्षण नियुक्त किये गये हैं।

★ पायलट सामाजिक अंकेक्षण 16 राज्यों में आयोजित किया गया है और शेष राज्यों में प्रक्रिया चल रही है।

शिकायत निवारण :–

★ महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन पर चिंता के मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाई गई है। नई व्यवस्था शिकायतकर्त्ता के वित्तीय और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं, आदि सहित विभिन्न प्रकार के प्रबंधन के लिए प्रक्रिया और समय–सीमा रूपरेखा बनाती है।

★ शिकायत निवारण तंत्रों को मजबूत करने के लिए राज्यों को जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति के लिए सलाह दी गई है। लोकपाल केन्द्र या राजा सरकार के अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र है। लोकपाल के पास महात्मा गाँधी नरेगा श्रमिकों से अन्य बातों के साथ–साथ शिकायतें प्राप्त करने की शक्ति होगी और कानून के अनुसार उनके निपटान की सुविधा दी जएगी। मुद्दों की

जांच के लिए दिशा निर्देशन देने, गलत पार्टियों के खिलाफ एफआईआर दायर करने, स्वप्रेरणा कार्यवाही की शुरूआत करने उनके निष्कर्षो के बारे में राज्य के मुख्य सचिव और सचिव को रिपोर्ट देने और गलत व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाई के लिए राज्य नॉडल विभाग को जानकारी देने की सुविधा दी जाएगी।

बाढ़ प्रभावित जिलों/तालुकाओं/प्रखंडों में अतिरिक्त दिन रोजगार देना :–

मंत्रालय में चालू वित्त वर्ष के लिए उत्तराखण्ड और ओडिसा के अधिसूचित बाढ़ प्रभावित जिलों/प्रखंडो/बालुकाओं में महात्मा गांधी नरेगा के तहत प्रति परिवार 100 दिनों के अलावा 50 दिनों के अतिरिक्त रोजगार की लागत को साझा करने के लिए प्रावधान किया है।

अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ महात्मा गांधी नरेगा के अभिशरण के लिये रोडमैप :–

मंत्रालय ने राज्यों को अभिसरण के लिये रोडमैप तैयार करने तथा राज्य स्तरीय अभिसरण कार्यशालायें आयोजित करने पर ध्यान देने पर बल दिया है। पन्द्रह राज्यों ने राज्य स्तरीय अभिसरण कार्यशालाओं का आयोजन किया और ये राज्य अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण के लिये रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया में है।

सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना की तैयारी :–

मंत्रालय ने एक आईईसी योजना तैयार की है और इसे राज्यों के साथ साझा किया है। राष्ट्रीय आईईसी योजना के आधार पर राज्यों को राज्य आईईसी योजना तैयार करने की सलाह दी गई है। अभी तक दस राज्यों ने आईईसी योजना तैयार की है।

महात्मा गाँधी नरेगा के पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण :–

महात्मा गाँधी नरेगा के परिचालन दिशानिर्देशों पर राज्य संसाधन दल (एसआरटी) का निर्माण : महात्मा गाँधी नरेगा परिचालन दिशानिर्देश के प्रावधानों के साथ महात्मा गांधी नरेगा के पदाधिकारियों को परिचित कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के साथ मंत्रालय ने तीन दिवसीय प्रशिक्षक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन ऐसे दस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत किये गये। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अपने राज्यों में महात्मा गांधी नरेगा के क्रियान्वयन के विषय में चिन्हित किये गये प्रशिक्षकों/विशेषज्ञों का कैडर विकसित करना था। ये प्रशिक्षित कार्यकर्त्ता बाद में जिला संसाधन टीम और प्रखंड संसाधन टीम बनायेंगें।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकार :–

काम के लिए आवेदन :–

(क) इस जॉब कार्ड के जरिए आप काम के लिए कभी भी आवेदन करने के हकदार हैं। आप अपना आवेदन ग्राम पंचायत अथवा ब्लॉक कार्यालय में दे सकते हैं।

(ख) यदि आप काम के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 15 दिन के भीतर काम दिया जाना होगा।

(ग) जब आप आवेदन करें तो हस्ताक्षर तथा दिनांक युक्त रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

श्रमिकों के अधिकार :–

(क) सभी श्रमिक अधिसूचित मजदूरी दर के हकदार हैं।

(ख) पुरूष तथा महिलाओं को समान भुगतान होना चाहिए।

(ग) मजदूरी का भुगतान हफ्ते भर में या अधिक से अधिक 15 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए।

(घ) मजदूरी आपके बैंक/डाकघर खाते में जमा की जाएगी।

(ड़) यदि आप कार्य स्थल से 5 किमी. से ज्यादा दूर रहते हैं तो आप यात्रा एवं निर्वाह भत्ते के हकदार हैं। (न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत)

कार्यस्थल पर :–

(क) कार्यस्थल पर मस्टर रोल उपलब्ध होने चाहिए तथा रखे जाने चाहिए। आप किसी भी समय मस्टर रोल की जांच करने के हकदार हैं।

(ख) प्रत्येक कार्यस्थल पर विश्राम स्थल, पेयजल तथा प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

(ग) यदि छः वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे उपस्थित हों तो कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

बेरोजगारी भत्ता :–

(क) यदि आपको आवेदन करने के 15 दिन के भीतर काम नहीं दिया गया तो आप बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं।

(ख) आप बेरोजगारी भत्ते के लिए ग्राम पंचायत अथवा ब्लॉक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। (आपको यह दर्शाने वाली रसीद दिखानी होगी कि आपने काम के लिए कब आवेदन किया)

अपने जॉब कार्ड के बारे में ध्यान देने योग्य बातें :–

(क) यह जॉब कार्ड (फोटो सहित) निःशुल्क दिया जाना चाहिए किसी को इसके लिए शुल्क न दें।

(ख) हर परिवार पृथ्क जॉब कार्ड का हकदार है।

(ग) यह जॉब कार्ड अपने पास रखें। किसी को इसे आपसे लेने का अधिकार नहीं है।

(घ) सभी प्रविष्टियां आपके सामने की जानी अनिवार्य हैं।

(ड़) यह सुनिश्चित करें कि जॉब कार्ड में कोई फर्जी प्रविष्टि नहीं की गई है।

(च) यदि आपका जॉब कार्ड खो जाता है, तो आप ग्राम पंचायत में डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जॉब कार्ड का संरक्षक :–

पारदर्शिता और जवाबदेही ही सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जॉब कार्ड हमेशा उस परिवार के संरक्षण में रहे जिसे यह जारी किया गया है। किसी कारणवश, जैसे कि रिकार्ड का अधतन के लिए यदि कार्यान्वयन एजेंसी इसे ले लेती है तो अधतन के बाद इसे उसी दिन लौटा दिया जाना चाहिए। यदि बिना किसी उचित कारण के जॉब कार्ड किसी पंचायत या मनरेगाकर्मी के पास पाया जाता है तो इसे अधिनियम की धारा 25 के तहत दण्डनीय अपराध माना जाएगा।

महत्वपूर्ण अवसरों पर एसएमएस एलर्ट :–

एसआईएस में मोबाइल नम्बर शामिल होने चाहिए जिस पर महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का एसएमएस एल (यदि लाभार्थी अपना नम्बर डलवाने पर सहमत है) स्वतः ही भेज दिया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना है कि श्रमिकों को कार्यान्वयन चक्र के विभिन्न ब्यौरों के बारे में सक्रियता से सूचित किया जाए।

कार्य आवेदन के लिए तारीखयुक्त पावती :–

ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी जैसा भी मामला हो, कार्य के लिए वैध आवेदनों को मंजूर करने और आवेदक को तारीखयुक्त पावती जारी करने के लिए बाध्य होगा। आदर्श रूप में कार्य के आवेदन फार्म में एक काउंटर फॉयल पावती होनी चाहिए जिस पर तारीख डाली जा सके और कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर शीघ्र ही तारीखयुक्त पावती जारी की जा सके। कार्य आवेदनों को लेने और तारीखयुक्त पावती देने से मना करने को मनरेगा की धारा 25 के अन्तर्गत उल्लंघन माना जाएगा।

रोजगार गारंटी दिवस (रोजगार दिवस) :–

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रत्येक माह कम से कम एक बार रोजगार दिवस का आयोजन करना चाहिए। इस अवसर पर ग्राम पंचायत को चाहिए कि वे अपनी ओर से चालू तथा बाद की तिमाहियों के लिए सम्भावित श्रमिकों से कार्य का आवेदन मंगाए। इस अवसर पर आवेदकों को तारीखयुक्त पावतियां दी जाएंगी। कार्य आवेदकों और सम्बंधित क्रियाकलापों अर्थात् जानकारी देने, कार्य का आवंटन मजदूरी का भुगतान और बेरोजगारी भत्ते का भुगतान आदि पर आगे की कार्यवाही करने के लिए रोजगार गारंटी दिवस मनाया जाना चाहिए।

2. तथापि इन क्रियाकलापों को 'रोजगार गारंटी दिवस' तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। खासतौर पर कार्य के आवेदनों को किसी भी समय स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

3. मनरेगा में सहायता प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त सभी स्टाफ और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को 'रोजगार गारंटी दिवस' के अवसर पर मौजूद रहना चाहिए।

कार्य का समय पर आवंटन :–

1. महात्मा गाँधी नरेगा की अनुसूची :–

पैरा 10 में यह बताया गया है कि पीओ और ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि वह रोजगार के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय किसी भी को करने का निर्देश दे सकता है।

2. माँगे गए कार्यों और आवंटित कार्यों से सम्बंधित जानकारी का जॉब कार्ड और रोजगार रजिस्टर में भी उल्लेख करना होता है। इसलिए इस बात की जरूरत है कि इसे जॉब कार्ड और रोजगार रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। राज्य सरकार एक स्पष्ट समन्वयक तंत्र बनाएगी ताकि मांगे गए कार्य तथा कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित कार्यों के आंकड़े सही तरह से रखे जा सके। आवंटित कार्यों और खोले गए कार्यों पर ग्राम पंचायत और ब्लॉक अधिकारियों को भी यह जानकारी दी जानी चाहिए।

3. प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बंधी हकदारी का विवरण एक ही परिवार के अलग–अलग वयस्क सदस्यों में किया जा सकता है। यदि एक ही जॉब कार्ड वाले परिवार के अनेक सदस्यों को एक साथ काम दिया जाता है तो उन्हें एक ही कार्यस्थल पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि कोई असामान्य परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे एक ही परिवार के सदस्यों को अलग–अलग कार्यस्थलों पर कार्य का आवंटन किया जाना है तो ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे सभी कार्यस्थलों के लिए जॉब कार्ड को विधिवत तैयार किया जाए।

4. यदि कुछ आवेदकों को उनके निवास स्थल के 5 किमी. से अधिक दूरी पर काम पर जाने का निर्देश दिया जाता है तो श्रमिकों को आने–जाने एवं खान–पान के अतिरिक्त खर्चो को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में मजदूरी दर के प्रतिशत हिसों का भुगतान किया जायेगा। मनरेगा सॉफ्ट में देय मजदूरी की गणना निवास स्थल से कार्य स्थल की दूरी के आधार पर की जाती है। इसलिए कार्य आवंटन के समय इस जानकारी को प्रविष्ट करना आवश्यक है अन्यथा श्रमिकों को उनकी बकाया राशि से कम का भुगतान किया जा सकता है। निवास स्थान के निकट के कार्यस्थलों पर कार्य देने में महिलाओं (विशेषकर एकल महिलाओं) और वृद्ध व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5. कार्य के लिए आवेदन आमतौर पर ग्राम पंचायत को किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत को चाहिए कि वह पहले चल रहे कार्यों का आवंटन करे। ऐसा हो सकता है कि चल रहे कार्यों में श्रमिक को खपाने की क्षमता न हो, क्योंकि कार्य लगभग पूरा हो चुका है किन्तु कागजी कार्यवाही के पूरा न होने की वजह से मनरेगा सॉफ्ट में इसकी स्थिति चल रहे कार्य के रूप में दर्शायी गई हो, ऐसे मामले में ग्राम पंचायत (जी.पी.) को कागजी कार्यवाही पूरी करके इसे मनरेगा सॉफ्ट से हटा देना चाहिए। यदि कोई भी कार्य न चल रहा हो तब ग्राम पंचायत की सभा द्वारा तय किए गए प्राथमिकीकरण का अनुपालन करते हुए परियोजनाओं की अनुमोदित सूची में से ग्राम पंचायत को नया कार्य शुरू करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि परियोजनाओं की अनुमोदित सूची पूरी न होने की वजह से ग्राम पंचायत रोजगार मुहैया न करा पाये, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत पीओ को इस बात की जानकारी

देगी। पीओ जांच पड़ताल के बाद चल रहे कार्यों को पहले देने के लिए उसी सिद्धांत का अनुपालन करके और ऐसा भी कर पाना सम्भव न हो तो उस ग्राम पंचायत जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्य किए जाने हैं कि ग्राम सभा द्वारा तय किए गये प्राथमिकता क्रम का अनुपालन करके आसपास की ग्राम पंचायतों में कार्य उपलब्ध करा सकते हैं। यदि आवंटित कार्यों के लिए लाइन विभाग को कार्यान्वयन एजेंसी बनाया जाता है तो पीओ यह सुनिश्चित करेगा कि उस कार्य के लिए आवश्यक धनराशि सम्बंधित कार्यान्वयन एजेंसी को रिलीज कर दी गई है यदि चालू कार्य न हो तो पीओ इस प्रकार आवंटित कार्यों के बारे में सम्बंधित ग्राम पंचायत को सूचित करेगा ताकि ग्राम पंचायत में रोजगार रजिस्टर में रोजगार आँकड़ों को समेकित किया जा सके।

6. मनरेगा सॉफ्ट में जिस तारीख से काम माँगा गया है और जिस तारीख से कार्य आवंटित किया गया है और कार्य के खुलने की तारीख के बीच के अंतरालों पर नजर रखी जाती है। इन्हीं आधार पर जितने दिनों का बेरोजगारी भत्ता बाकी है, मनरेगा सॉफ्ट में उसकी गणना की जाती है। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सम्बंधित नियमावली में परिभाषित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार, डीपीसी और पीओ इसकी (प्रत्येक ग्राम पंचायत) निगरानी करेंगे और सम्बंधित ग्राम पंचायत में परियोजनाओं की पूरी सूची तैयार कराने सहित सभी आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी करेंगे। बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और किए गए सुधारात्मक उपायों सम्बंधी रिपोर्ट राज्य स्तर पर निगरानी रिपोर्टों का हिस्सा होंगी।

7. यदि पीओ को रोजगार के लिए आवेदन दिया जाता है और पीओ कार्य आवंटित कर देता है तो वह ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी देगा, ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार रजिस्टर में रोजगार सम्बंधी आंकड़ों को समेकित किया जा सके और आवेदक कार्ड धारक को इसकी जानकारी दी जा सके। ग्राम पंचायत आवंटित किए गए रोजगार की जानकारी भी पीओ को देगी। जानकारी देने का यह कार्य निर्धारित फार्मेट पर साप्ताहिक आधार पर किया जाना चाहिए।

8. जिन आवेदकों को कार्य उपलब्ध कराया गया है उन्हें उनके जॉब कार्ड में दिए गए पते पर संचार माध्यम से जरिए इस बात की जानकारी दी जाएगी और साथ ही ग्राम पंचायत और पीओ कार्यालय पर लगाई गई सार्वजनिक नोटिस में इसे प्रदर्शित किया जाएगा।

9. कार्य आवंटन फार्म में जिन ब्यौरों को शामिल किया जाएगा वे अनुबंध–9 में दर्शाए गए हैं।

10. रोजगार उपलब्ध कराते समय, महिलाओं को इस तरह प्राथमिकता दी जाएगी ताकि योजना (महात्मा गांधी नरेगा, अनुसूची–2 पैरा 6) के तहत कार्य के लिए आवेदन देने वाले तथा पंजीकृत लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं हों।

11. अनुसूची–2 पैरा 6 में पीओ को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि प्रत्येक आवेदक को अकुशल शारीरिक श्रम कार्य दिया जाए। इस प्रकार ग्राम पंचायत और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को संसाधन सहायता प्रदान करने और सहयोग करने की समग्र जिम्मेदारी पीओ की है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक आवेदक के पास कानूनी हकदारों

के हिसाब से कार्य हो, पीओ के पास ग्राम पंचायत और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों का निरीक्षण करने और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का निदेश देने का अधिकार होगा। यदि कोई कार्यान्वयन एजेंसी ऐसा नहीं कर पाती है तो पीओ यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य के आवेदकों को परेशान नहीं किया गया है और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है और साथ ही इस मामले पर उचित कार्यवाही के लिए डीपीसी को इसकी जानकारी दी जाती है।

बेरोजगारी भत्ता :–

1. यदि आवेदक को रोजगार की मांग से सम्बंधित उसके आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। अग्रिम आवेदन किए जाने के मामले में रोजगार की मांग किए जाने की तारीख से अथवा आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर इनमें से जो भी बाद में हो रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर बेरोजगार भत्ता देय होगा।

2. बेरोजगारी भत्ता का भुगतान इस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिनों के लिए मजदूरी दर के एक चौथाई हिस्से से कम नहीं होगा और वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे हिस्से से कम नहीं होगा।

3. राज्य सरकार

(क) इस अधिनियम की धारा 7(2) के अंतर्गत देय बेरोजगारी भत्ता की दर विनिर्दिष्ट करेगी और

(ख) बेरोजगारी भत्ता के भुगतान की प्रक्रियाविधि से सम्बंधित नियम बनाएगी।

(ग) बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान करेगी।

4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली प्रक्रियाविधि में शामिल हैं –

(क) भुगतान आदेश का स्वतः सृजन (जिसके लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं है) और बेरोजगारी भत्ता का भुगतान मनरेगा सॉफ्ट में आंकड़ों के आधार पर एसईजीएफ से अथवा इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी अन्य निधि से किया जाना।

(ख) बेरोजगारी भत्ता देय होने पर 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए अन्यथा प्राप्तकर्त्ता उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर मुआवजे का हकदार होगा जैसा कि मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1930 में मजदूरी से सम्बंधित मुआवजे का प्रावधान है।

(ग) मजदूरी भुगतान आदि के मामले में बेरोजगारी भत्ता को बैंक/पीओ खाता में जमा किया जाना चाहिए।

5. मनरेगा की धारा 8(2) में प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं किए जाने अथवा विलंब से भुगतान किए जाने और भुगतान न किए जाने अथवा विलंब से भुगतान किए जाने के कारणों का उल्लेख डीपीसी द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में करना होगा।

6. मनरेगा की धारा 8(2) में प्रावधान है कि राज्य सरकार सम्बंधितपरिवार को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान यथाशीघ्र करने के लिए सभी उपाय करेगी।

7. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिवार को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने सम्बंधी राज्य सरकार का दायित्व समाप्त होगा जैसे –

(क) आवेदक को ग्राम पंचायत अथवा पीओ द्वारा यह निदेश दिए जाए कि वह स्वयं कार्य के लिए रिपोर्ट करे अथवा अपने परिवार का कम से कम वयस्क सदस्य नियुक्त करे, अथवा

(ख) अवधि जिसके लिए रोजगार की मांग की गई है, समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिए उपस्थित नहीं होता है, अथवा

(ग) आवेदक के परिवार के वयस्क सदस्यों को वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया हो, अथवा

(घ) आवेदक के परिवार ने मजदूरी और बेरोजगारी भत्ता दोनों को मिलाकर इतना अर्जित कर लिया है जो वित्त वर्ष के दौरान 100 दिनों की मजदूरी के बराबर है।

8. आवेदक जो

(क) अपने परिवार को उपलब्ध कराए गए रोजगार को स्वीकार नहीं करता है, अथवा

(ख) कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सूचित किए जाने के 15 दिनों के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है, अथवा

(ग) एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए सम्बंधित कार्यान्वयन एजेंसी से अनुमति लिए बिना कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है और किसी महीने में एक सप्ताह से अधिक अविध तक अनुपस्थित रहता है,

तीन माह की अवधि के लिए इस अधिनियम के तहत देय बेरोजगारी भत्ता

का दावा करने का पात्र नहीं होगा और किसी भी समय इस योजना के अन्तर्गत रोजगार की मांग करने के लिए पात्र होगा।

संस्थागत संरचना और मानव संसाधन :–

कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर पर्याप्त मानव संसाधनों के प्रावधान में महात्मा गांधी नरेगा की सफलता की कुंजी निहित है। विशेष रूप से ग्राम पंचायतों में अपनी पूरी क्षमता से कार्य को निष्पादित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को कर्मियों की जरूरत होती है। पर्याप्त स्टाफ के साथ मनरेगा के प्रमुख क्रियान्वयनकर्त्ता के रूप में, जमीनी स्तर की ये लोकतांत्रिक संस्थाएं कार्यक्रम सम्बंधी क्रियाकलापों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर पाने में सक्षम होगी।

मनरेगा, 2005 की धारा 18 के अनुसार राज्य सरकारों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक स्टाफ और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं जैसा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो। सहायक स्टाफ की भी संविदा आधार पर सेवाएं ली जा सकती हैं ताकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। कर्मियों के लिए भर्ती नीति का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।

मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए पेशेवर सहायता :–

मनरेगा के लिए निम्न स्तरों पर पेशेवर सहायता की तैनाती किए जाने की जरूरत है –

1. ग्राम पंचायत
2. क्लस्टर/उप–जिला/ब्लॉक
3. जिला
4. राज्य
5. केन्द्र

ग्राम पंचायत :–

ग्राम पंचायत स्तर पर निम्नलिखित लगनशील व्यक्तियों की जरूरत है –

1. ग्राम रोजगार सहायक या रोजगार गारंटी सहायक

2. मेट या कार्य स्थल पर्यवेक्षक

जीआरएस की भर्ती में होने वाला खर्च मनरेगा के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय पर पहला प्रभार है।

ग्राम पंचायत स्तर पर अपेक्षित व्यक्तियों के कार्य एवं जिम्मेदारियां नीचे दर्शाई गई है –

1. ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा कार्यों के निष्पादन में ग्राम पंचायत की सहायता करेगा।

2. जीआरएस की तैनाती केवल मनरेगा के लिए की जाएगी और इसे कोई अन्य कार्य नहीं दिया जाएगा।

3. जीआरएस और पंचायत सचिव के कार्यों का विशेष रूप से खुलासा किया जाना चाहिए।

ग्राम रोजगार सहायक की तैनाती :–

राज्य यह सुनिश्चित करे कि ऐसी ग्राम पंचायतों, जहां मनरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग लगभग न हो, को छोड़कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक जीआरएस तैनात किया गया है। जिन ग्राम पंचायतों में अधिक श्रम की सम्भावना है और जहां कि आबादी विरल है एवं जनजातीय क्षेत्र है, वहां एक से अधिक जीआरएस तैनात किए जा सकते हैं।

4. जीआरएस की जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं :–

क. पंजीकरण, जॉब कार्डो के वितरण, जॉब आवेदनों के बदले तारीखयुक्त पावती को प्रावधान, आवेदकों को कार्य का आवंटन आदि प्रक्रियाओं की देख–रेख करना।

ख. ग्राम सभा की बैठकों और सामाजिक लेखा परीक्षा में मदद करना।

ग. या तो खुद या मेट के जरिए कार्य स्थल पर रखे गए मस्टर रोल में प्रतिदिन श्रमिक की उपस्थिति दर्ज करना।

घ. यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों के प्रत्येक समूह के लिए ग्रुप मार्क आउट दिए जाते हैं ताकि मजदूरों को यह पता चल सके कि प्रतिदिन मजदूरी कमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा।

ड़. यह सुनिश्चित करना कि सभी मेट समय पर कार्य स्थल पर पहुंचे और कार्यस्थल प केवल निर्धारित मस्टर रोल में ही रोल कॉल/उपस्थिति दर्ज कराएं।

च. कार्य स्थल पर सुविधाएं सुनिश्चित करना और श्रमिकों के जॉब कार्डों को नियमित रूप से अद्यतन करना।

छ. ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा से सम्बंधित सभी रजिस्टरों को रखना, पंचायत सचिव या मनरेगा खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार किसी अन्य अधिकारी की सहायता करना और यह सुनिश्चित करना कि वे दस्तावेज सार्वजनिक जांच के लिए आसानी से उपलब्ध हो।

5. जीआरएस को कार्यस्थल प्रबंधन और कार्यों के मापन में पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

6. जीआरएस को दी जाने वाली पारिश्रमिक/मुआवजा राशि कार्य निष्पादन या नियत वेतन पर आधारित हो सकती है। तदनुसार निष्पादन सम्बंधी उपयुक्त प्रोत्साहन/निरूत्साहन प्रणाली बनाए जाने की जरूरत है।

मेट :–

प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक मेट या कार्यस्थल पर्यवेक्षक की जरूरत होती है। प्रत्येक 30 श्रमिकों के लिए कम से कम एक मेट होना चाहिए। मेटों का चयन मानदण्ड, पारिश्रमिक, भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं –

1. मेट को पढ़ा लिखा होना चाहिए और उसे उपयुक्त समय तक मनरेगा योजना में कामकाज करने का अनुभव होना चाहिए।

2. भली–भांति प्रचारित पारदर्शी मानदण्ड के आधार पर मेटों का चयन किया जाना चाहिए। मेटों के लिए चयन मानदण्ड बनाते समय, सबसे अधिक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को तरजीह दी जानी चाहिए।

3. उपस्थित दर्ज करने के अलावा, मेटों के प्रारम्भिक मापन करने की जरूरत होती है, जिसे तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा मानकीकृत किया जाता है। इसलिए मेटों को सही–सही मापन करने का प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है।

4. मेट जमीनी स्तर के प्रमाणिक इंजीनियरों के रूप में कार्य कर सकते हैं जो निष्पादित कार्यों का प्रारम्भिक मापन कर पाने में सक्षम होंगे।

5. मेट के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति उस समय उसी मनरेगा कार्य स्थल का श्रमिक नहीं होना चाहिए।

6. मेटों को उसके कार्य के श्रम दिवसों के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, जिसकी गणना अर्द्धकुशल श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी दर के समान आधार पर की जाएगी और इसे योजना के सामग्री घटक के अंतर्गत लागत अनुमान में शामिल किया जाना चाहिए।

7. मेटों की जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं –

क. कार्य स्थलों का पर्यवेक्षण करना।

ख. मस्टर रोल में दैनिक हाजिरी दर्ज करना।

ग. श्रमिकों के समूहों को प्रतिदिन मार्क आउट देना और साप्ताहिक रूप से प्रारम्भिक मापों को दर्ज करना।

घ. जॉब कार्ड का आवेदन लेकर उसे ग्राम पंचायत में जमा करने में कदद करना।

ड़. अलग–अलग श्रमिकों या श्रमिकों के समूहों से कार्य की मांग लेकर उन्हें ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने और पावती के रूप में तारीखयुक्त रसीद प्राप्त करने में मदद करना।

च. ग्राम पंचायत में कार्य के भागीदारीपूर्ण निर्धारण में मदद करना।

क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन :–

राज्य/जिला/ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण विकास कर्मियों/एजेंसियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण और उन्हें तकनीकी सहायता तथा सम्भावित एवं मौजूदा श्रमिकों को जागरूक बनाना सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं, नीतियों और प्लानों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में सबसे महत्वपूर्ण कार्यनीतिगत पहलू हैं। मनरेगा जैसे केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के

प्रभावी क्रियान्वयन में जटिल और बहु स्तरीय प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसके अलावा, मनरेगा 2005 में हाल ही में किए गए संशोधनों ने अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों की क्षमता निर्माण में वृद्धि को अनिवार्य कर दिया है। स्टेकहोल्डरों को कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बंधी नई संरचना, सामाजिक जागरूकता के महत्व, निहत प्रक्रियागत ब्यौरों और साथ ही सम्बद्ध तकनीकी मुद्दों से पूरी जानकारी रखने की जरूरत है।

प्रशिक्षण व्यवस्था :–

क्षमता निर्माण अवसंरचना के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है –

1. कार्यान्वयन के बिल्कुल अंतिम स्तर पर पर्याप्त आधारभूत सुविधा।
2. प्रशिक्षण और सहायता में सिविल सोसायटी संगठनों को शामिल करने की एक संस्थागत व्यवस्था।
3. प्रशिक्षकों को उन विषयों में जिनका वे प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्षेत्र स्तर पर व्यावहारिक अनुभव होना आवश्यक है।
4. प्रशिक्षण को कार्यान्वयन सम्बंधी अनुभव और कार्यान्वयन के संदर्भ से जोड़ा जाए।
5. संबद्ध पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और गुणवता प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।
6. प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन प्रणाली।
7. अलग–अलग परिस्थितियों में तैनात किए गए मानव संसाधनों में समानता रखने के लिए मानव संसाधन क्षमताओं के न्यूनतम स्वीकार्य मानक को परिभाषित किया जाए।

इसके लिए क्षमता निर्माण संस्थानों का एक समानांतर नेटवर्क बनाए जाने की आवश्यकता है। राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए निधियों की आवश्यकता का आकलन करना चाहिए और प्रशासनिक व्यय शीर्ष से क्षमता निर्माण हेतु निधियाँ निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए।

कार्यकर्त्ताओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए वित्त जिले के प्रत्येक वर्ग के पदाधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों को सक्षम करने के लिए उचित कदम उठाकर विशेष रूप से इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट से सम्बंधित आवश्यक नियमावली तैयार करनी चाहिए।

क्षमता निर्माण संस्थाओं का नेटवर्क :–

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रबंधन दल (एनएमटी) में मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण प्रभाग पूरे प्रशिक्षण प्रयासों में मदद करेगा।

1. विभिन्न राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्रों के बीच समन्वयनकारी और सुविधाप्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करना।
2. राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण नीति को परिभाषित एवं परिष्कृत करने में और प्रशिक्षण सम्बंधी जरूरतों का आकलन करने में मदद करना।
3. प्रशिक्षण सामग्री और संसाधनों के लिए वितरण केन्द्र और प्रशिक्षण सामग्री, पद्धतियों और संसाधनों को तैयार करने और उनके प्रचार–प्रसार में सक्रिय रूप से शामिल नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करना।
4. देश भर में मनरेगा के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका निभा सकने वाली संस्थाओं का निर्धारण करके उन्हें एकजुट करना।

5. विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए प्रशिक्षण विषय वस्तु और पाठ्यक्रमों को परिभाषित करना।

6. महात्मा गाँधी नरेगा के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों और विभिन्न हितधारकों के लिये राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण की योजना बनायें जो राज्य स्तर की प्रशिक्षण योजना में भी उपयोगी हो।

7. राज्य स्तरीय प्रशिक्षण और सहायक संगठनों की सक्रिय भागीदारी से अच्छे रिकार्ड वाले सक्षम सिविल सोसाएटी संगठनों, पेशेवर एजेंसियों, तकनीकी संस्थाओं और अन्य संस्थाओं, जो विभिन्न राज्यों में मनरेगा में प्रशिक्षण और सहायता दे सकती है, का निर्धारण करना और उन्हें काम पर लगाना।

8. यह सुनिश्चित करना कि देशभर में मनरेगा के लिए प्रशिक्षण सम्बंधी जरूरतें वास्तव में पूरी हो रही हैं।

9. दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी करना और इसे बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट सम्बद्ध सिफारिशें करना।

10. मोटे तौर पर मंजूर किए प्रशिक्षण क्रियाकलापों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट सिफारिशें करना और स्पष्ट समय सीमा तय करना।

राज्य स्तर :–

प्रत्येक राज्य ऊपर बताई गई जिम्मेदारियों के अनुसार मनरेगा मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण प्रभाग की स्थापना भी करेगा।

राज्य प्रभागों की जिम्मेदारी यह होगी कि :–

1. जिला स्तरीय मनरेगा प्रशिक्षण एवं सहायता दलों को प्रशिक्षण देना, जो इस कैस्केडिंग मॉडल में मास्टर ट्रेनर होंगे।

2. जिला दलों को नियमित रूप से सहायता सेवाएं उपलब्ध कराना।

3. विशेषज्ञ संसाधन एजेंसी के रूप में कार्य करना।

4. प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

5. पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण समुदायों के लिए प्रदर्शन दौरे आयोजित करना।

6. प्रशिक्षण सामग्री को परिष्कृत करने में मदद करना और

7. जिला प्रशिक्षण इकाइयों के कार्यों की निगरानी करना।

जिला स्तर पर संबद्ध मनरेगा जिला संसाधन विकास और क्षमता निर्माण इकाई बनाए जाने की जरूरत है। इन इकाई में पूर्णकालिक लगनशील संसाधन व्यक्ति होने चाहिए जो ब्लॉक एवं उप–ब्लॉक कार्यान्वयन दलों के प्रशिक्षण और क्षेत्र आधारित हैड होल्डिंग सहायता मुहैया कराने में मनरेगा के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। ऐसे संसाधन व्यक्तियों की भर्ती उसी माध्यम से की जा सकती है जैसा कि ब्लॉक और क्लस्टर स्तरों पर परियोजना कार्यान्वयन दलों के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण कर्मियों को क्लस्टर सुविधाप्रदाता दलों से लिया जा सकता है और नए सिरे से उनका चयन किया जा सकता है। नई भर्तियों के मामले में उम्मीदवारों को ग्रामीण विकास कार्यों का पहले से कुछ अनुभव होना चाहिए। एक सीएसओ भी यह इकाई हो सकता है बशर्ते उसमें त्रुटिहीन प्रत्यय पत्र के साथ उच्च गुणवत्ता और प्रकृति आधारित आजीविका पर कामकाज करने या नियोजन एवं कार्यान्वयन का कुछ अनुभव हो। इन सीएसओ का चयन केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई कठोर जाँच प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।

संवेदनशील समूहों के लिए कार्यनीति :–

विशेष श्रेणियां :–

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने का उद्देश्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है यदि ग्रामीण समाज के संवेदनशील वर्गो पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मनरेगा के अंतर्गत संवेदनशील समूहों हेतु मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराते समय संवेदनशील व्यक्तियों की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है अन्यथा वे इससे वंचित रह जाएंगे। कुछ विशेष श्रेणियां इस प्रकार हैं –

1. असशक्त व्यक्ति
2. आदिवासी जनजातीय समूह
3. खानाबदोश जनजातीय समूह
4. गैर–अधिसूचित जनजातियां
5. विशेष परिस्थितियों में महिलाएं
6. 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
7. एचआईवी पीड़ित व्यक्ति
8. आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति

इन विशेष श्रेणियों को मनरेगा में शामिल करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को एक विशेष योजना तैयार करनी चाहिए। विभिन्न विशेष श्रेणियों के लिए अलग–अलग कार्यनीति होनी चाहिए। इस योजना को विकसित करने के लिए स्वंयसेवकों की पहचान की जा सकती है और विशेष श्रेणियों में उनकी मांग

सुनिश्चित करने हेतु उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ये स्वंयसेवक आरम्भिक अवधि के दौरान संवेदनशील व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करने में सम्पूर्ण सहयोग कर सकते हैं। ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारियों को विशेष श्रेणियों से जुड़े मामलों और ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में विशेष रूप से संज्ञान दिया जाए।

फील्ड स्टॉफ और मनरेगा के श्रमिकों को विशेष रूप से एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए कि एचआईवी हवा, पानी, कीड़े, मच्छर, लार, आंसू या पसीने, थूकने, हाथ मिलाने या व्यंजन साझा करने जैसे आकस्मिक सम्पर्क द्वारा नहीं फैलता है। इसलिए एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को सुगमता से मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें अन्य मनरेगा के श्रमिकों के साथ मनरेगा के कार्य निष्पादन में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इन विशेष श्रेणियों की योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हो सकते हैं –

1. इन समूहों के लिए पहचान किए गए विशिष्ट कार्य।
2. इनकी भागीदारी का पता लगाने के लिए एमआईएस में प्रावधान।

संवेदनशील समूहों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप :–

पहचान :– चूंकि विकलांग एवं संवेदनशील समूहों की विशिष्ट आवश्यकताएँ होती हैं, इसलिए उनको कार्यक्रम में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे तथा पीओ विकलांग एवं संवेदनशील लोगों के लिए काम करने हेतु राज्य सरकार के कल्याण विभाग/संसाधन एजेंसियों/सीएसओ से सेवाएं ले सकते हैं। संसाधन एजेंसियां विकलांग एवं संवेदनशील व्यक्तियों की पहचान करने और जुटाने में ग्राम सभा की सहायता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि उन्हें अधिनियम के तहत उनके अधिकार मिलें। संसाधन एजेंसियों की लागत को

प्रशासनिक लागत से पूरा किया जा सकता है। ऐसे विकलांग लोगों एवं संवेदनशील समूहों की अंतिम सूची को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

विकलांग व्यक्ति :–

विकलांग अथवा अन्य प्रकार से योग्य व्यक्तियों को विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और सम्पूर्ण भागीदारी), अधिनियम 1995 (1996 का 1) के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार विकलांगता युक्त व्यक्ति जिसकी गम्भीरता 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो, को मनरेगा उद्देश्य के लिए संवेदनशील व्यक्तियों की विशेष श्रेणी में समझा जाएगा। राष्ट्रीय ओरिज्म सेरेब्रल पाल्सी जन कल्याण ट्रस्ट, मानसिक मंदबुद्धि एवं बहु विकलांगता अधिनियम 1999 (1999 का 44) में परिभाषित विकलांग व्यक्तियों को भी मनरेगा में शामिल करने के लिए विचार किया जाना होगा।

चूंकि लोगों की यह श्रेणी अलग प्रकार से योग्य है, इसलिए मनरेगा में उन्हें शामिल करने के लिए विशेष स्थितियां तैयार करनी होंगी। यह अनुमान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 5 प्रतिशत जनसंख्या विकलांग की श्रेणी में आएगी और यह समूह सबसे वंचित एवं संवेदनशील समूहों में से एक है।

कार्यों की पहचान :–

प्रत्येक राज्य सरकार विशिष्ट कार्यों की पहचान करेगी जिन्हें विकलांग एवं संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा किया जा सके। गांव में विभिन्न विकलांग श्रेणी के लोगों को मिलाकर एक स्थायी समूह के रूप में संगठित किया जाएगा ताकि मूल योजना के अंतर्गत उनके लिए प्रस्तावित कार्यों को पूरा कर सकें और उनके लिए कार्य करने का अपना विकल्प सम्भव हो सके। विकलांग एवं संवेदनशील व्यक्तियों को मनरेगा

के कार्य में अन्य नियुक्त व्यक्तियों की तुलना में किसी भी कारण से कम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए।

जुटाना :–

समन्वयकर्त्ता (संवेदनशील समूह) मनरेगा कार्यों के लिए विकलांग एवं संवेदनशील व्यक्तियों को जुटाने हेतु विकलांग लोगों में से एक को सुविधा प्रदायक/साथी नियुक्त किया जा सकता है। यह सुविधाप्रदायक सभी विकलांग व्यक्तियों को कार्य स्थल पर लाने के लिए जिम्मेदार होगा और एक साथी की भांति कार्य करेगा। विकलांग एवं संवदेनशील लोगों को समूहों के रूप में जुटाने के प्रयास करने चाहिए। जब कभी आवश्यक हो विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त कार्य के लिए प्रशिक्षण दिए जाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। तथापि यदि समूह गठित करने का प्रयास सफल नहीं हो पाता है तो किसी भी विकलांग व्यक्ति को कार्य के लिए मना नहीं किया जाएगा।

कार्य :–

विकलांग/विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की कार्य की मांग के आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट रूप से कार्य कराए जा सकते हैं और बड़ी ग्राम पंचायतों, जिनमें विकलांग एवं संवेदनशील व्यक्तियों की संख्या अधिक हो, के मामले में बस्ती स्तर पर अलग से कार्य करवाए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि विशेष श्रेणी के लोगों को उनके आवास के नजदीक कार्य दिया जाए ताकि मनरेगा कार्य के लिए उन्हें लम्बी यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़े।

विकलांग एवं संवेदनशील व्यक्तियों को अन्य कार्यों में लगाना :–

महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों के लिए सहयोगी के तौर पर नियुक्ति के अलावा कार्यस्थल पर श्रमिकों को पानी पिलाने, क्रेच की देखभाल आदि कार्यों के लिए नियुक्ति में विकलांगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कार्यस्थलों पर अनुकूल औजार एवं उपकरण/सुविधाएं :–

समन्वयकर्त्ता (संवेदनशील समूह), विकलांग कामगारों के परामर्श से मौजूदा औजारों/उपस्करों में आवश्यक सुधार कराएगा। इसके लिए समन्वयकर्त्ता (संवेदनशील समूह) संशोधित औजारों/सहायक उपकरणों अथवा कार्य स्थल पर उपयोग में लाए जाने वाले सामान्य औजारों/उपस्करों को अनुकूल बनाने के लिए उचित संस्थाओं की सहायता लेगा। विकलांग कामगारों को संशोधित औजार/सहायक उपकरण अथवा कार्य के लिए आवश्यक संशोधित सामान्य औजार/उपस्कर उपलब्ध कराए जाएं।

विकलांग व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना :–

कार्य स्थलों पर विकलांग व्यक्तियों को केवल उनके स्वंय के नामों से ही संबोधित किया जाएगा। इसी प्रकार जॉब कार्डो में उनके नाम और उपनाम से उचित रूप से दर्ज किया जाएगा। प्राधिकारी कार्य स्थल पर गरिमापूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेंगे ताकि विकलांग कामगारों के साथ गलत व्यवहार न किया जाए अथवा उन्हें हीन नहीं समझा जाए अथवा उन्हें किसी प्रकार के भेदभाव (अपमानजनक भाषा का प्रयोग, उन्हें उनकी विकलांगता के नाम से सम्बोधित करना, निदंक भाषा का प्रयोग, उनका अपमान करना अथवा किसी भी प्रकार से उनकी भावनाओं को आहत करना) का सामना नहीं करना पड़े और समन्वयकर्त्ता (संवेदनशील समूह) ऐसी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा।

निगरानी और समय सीमा :–

इन दिशा निर्देशों में बताए गए अनुसार सभी विकलांग एवं अन्य संवेदनशील व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए और सभी गांवों में एक निश्चित समय सीमा में इनके प्रत्येक परिवार की 100 दिन का कार्य किया जाए। समन्वयकर्त्ता (संवेदनशील समूह) ऐसे कार्यान्वयन की प्रगति की

समीक्षा करने के लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों के साथ एक मासिक बैठक करेगा। समन्वयकर्त्ता (संवेदनशील समूह) मासिक और तिमाही प्रगति रिपोर्ट डीपीसी को प्रस्तुत करेगा।

विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) :–

पूर्व में आदिवासी जनजातीय समूह के रूप में जाने वाले पीवीटीजी दूरस्थ एवं आंतरिक क्षेत्रों तथा दुर्गम जंगलों में निवास करते हैं और भूख/भूखमरी, कुपोषण तथा खराब स्वास्थ्य के मामले में अति संवेदनशील होते हैं। इनमें से कुछ तो विलुप्त होने की कगार पर हैं। आज अनेक पीवीटीजी खानाबदोश हो गए हैं, बंधुआ मजदूर बन गए हैं अथवा वे दूरस्थ/निर्जन स्थलों और दुर्गम जंगलों अथवा विकट मरूस्थलों में रहने लग गए हैं।

ऐसा हो सकता है कि अनेक पीवीटीजी को मनरेगा जॉब कार्ड नहीं दिया गया हो और जिनके पास जॉब कार्ड हैं उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत बामुश्किल ही कार्य किया हो। पीवीटीजी की भौगोलिक दूरियों के कारण भुगतान में देरी होती है। डाक घर/बैंक पीवीटीवी बस्तियों से पचासों किलोमीटर दूर हैं। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत कार्य योजना आज़ैर कार्यकरण को पीवीटीजी की वन आधारित आजीविका के मौसम का ध्यान रखते हुए तैयार किए जाने की आवश्यकता है जो कृषि आधारित आजीविका से अलग होता है।

पीवीटीजी की भौगोलिक एकांतता और संवेदनशीलता को देखते हुए पीवीटीजी एक मनरेगा के लोगों को पहुंचाने हेतु राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम में उचित लचीलेपन के साथ विशेष कार्यनीतियां अपनाई जानी चाहिए।

गैर–अधिसूचित जनजातियां और खानाबदोश जनजातियाँ :–

खानाबदोश जनजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरती रहती हैं

और इनके रहने का कोई नियत स्थान नहीं होता। ऐसी सम्भावना है कि उन्हें मनरेगा का लाभ प्राप्त नहीं हो सके क्योंकि वे किसी पंचायत विशेष से तालुक नहीं रखती और इसलिए उन्हें जॉब कार्ड नहीं मिल पाता। अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए उनके पास दस्तावेज भी नहीं होते। चूंकि खानाबदोश जनजातियों की संख्या काफी कम है इसलिए डीपीसी जिले में खानाबदोश जनजातियों की संख्या का अनुमान लगा सकती है और पीओ को विशिष्ट जॉब कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है जो जिले में किसी भी ग्राम पंचायत से दिए जा सकते हैं। खानाबदोश जनजातियां किसी भी ग्राम पंचायत में कार्य कर सकती हैं। खानाबदोश जनजातियों के लिए बैंक खाता किसी ऐसे बैंक में खोला जाना चाहिए जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा हो और एटीएम/डेबिट कार्ड हो।

विशेष परिस्थितियों में महिलाएं :–

विधवा महिलाएं, परित्यक्त महिलाएं और गरीब महिलाएं अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत को ऐसी महिलाओं की पहचान करनी चाहिए और उन्हें 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और स्तन पान कराने वाली माताओं (कम से कम प्रसव से 8 महीने पहले ओर प्रसव के 10 महीने बाद तक) को भी एक विशेष श्रेणी में समझा जाना चाहिए। उनके लिए ऐसे विशेष कार्यों की पहचान और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए जिनमें प्रयास कम करने पड़ते हो और उनके आवास के नजदीक हों।

65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक :–

जिन वरिष्ठ नागरिकों की उनके परिवारों द्वारा देखभाल नहीं की जाती है वे सहायता के लिए मनरेगा की ओर देखते हैं। उन्हें भी विशेष श्रेणी में शामिल किया

जाना चाहिए। उन्हें उनके कम कार्य निष्पादन के कारण अक्सर दरकिनार और निष्कासित कर दिया जाता है। विशिष्ट वरिष्ठ नागरिक समूह गठित किए जा सकते हैं और इन समूहों के लिए ऐसे विशेष कार्यों की पहचान की जाए जिनमें शारीरिक परिश्रम कम करना पड़ता हो और ये कार्य इनको सौंपे जाएं।

आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति :–

कुछ क्षेत्रों में साम्प्रदायिक/धार्मिक/जातीय हिंसा अथवा वाम चरमपंथ की हिंसा के कारण परिवार आंतरिक विस्थापन के शिकार हुए है। इन समूहों को पड़ौसी जिलों अथवा राज्यों में विस्थापित होने के लिए मजबूर किया जाता है और मनरेगा के अंतर्गत कार्य देने के लिए इन्हें विशेष समूह के रूप में समझा जाना चाहिए। सम्बंधित डीपीसी एक विशेष जॉब कार्ड जारी कर सकती है जिसमें यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि ये आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति हैं। ये जॉब कार्ड इन परिवारों के विस्थापित रहने तक ही वैध होंगे और इनके अपने मूल निवास स्थान पर लौटने पर इनकी वैधता समाप्त हो जाएगी।

अन्य रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए उपयुक्त कार्य की पहचान करना :–

एक सांकेतिक सूची नीचे दी गई है –

मनरेगा के अंतर्गत अन्य रूप से योग्य व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार कार्य का सम्भावित वर्गीकरण :–

1. पेयजल व्यवस्था
2. बच्चों की देखभाल करने में सहायता
3. पौधारोपण
4. सिंचाई–नहर खोदना

5. गढ्डों को भरना

6. ट्रालियों में रेत भरना अथवा फेंकना

7. भवन निर्माण–कंक्रीट सामग्री तैयार करना

8. कंक्रीट व अन्य निर्माण सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना।

9. सीमेंट और ईंट ले जाना

10. परातों में मिट्टी अथवा कंकड़ भरना

11. नव निर्मित दीवार पर पानी छिड़कना

12. कुएं को गहरा करना – कुएं के अंदर खोदी गई मिट्टी से टोकरी भरना।

13. कुएं से कीचड़ को बाहर निकालने में सहायता करना।

14. कीचड़ को ट्राली में भरना

15. जलाशयों से कीचड़ खोदकर बाहर निकालना

16. तसलों में कूड़े को भरना

17. परातों में भरी सामग्री को ट्रालियों में डालना।

18. पत्थर ढोना

19. पत्थरों को सही स्थान पर रखना।

20. भूमि को समतल करना।

21. खेतों में बांध लगाना।

22. जल संरक्षण भूमि में गढ्डे खोदना।

23. गढ्डों से खोदी गई मिट्टी को किसी अन्य स्थान पर रखना।

24. जल छिड़काव करना, कंकड़ रखना।

रिकार्ड :–

रिकार्डों का उचित रख–रखाव :–

रिकार्डों का उचित रख–रखाव महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण आदानों, प्रक्रियाओं, उत्पादन और निष्कर्षो की सूचना जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के स्तर पर विहित रजिस्टरों में सटीक रूप से दर्ज की जानी होती है।

कम्प्यूटर आधारित एमआईएस भी इस सूचना को इलेक्ट्रोनिक रूप से दर्ज करेगा। अतः विहित किए गए अधिकतर रिकार्डो को नरेगा सॉफ्ट से आसानी से डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है और इनकी इस्ताक्षरित प्रतियों को रिकार्ड के रूप में रखा जा सकता है। इससे लेखा तैयार करने में अपेक्षित समय की बचत होगी और जवाबदेही व पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

समवर्ती निगरानी मनरेगा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाती है। मनरेगा कार्यक्रम जितना विशाल है उसकी निगरानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के द्वारा प्रभावी और सुविधाजनक ढंग से की जा सकती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही मनरेगा का आधार है। अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 1 3(क) में यह भी निर्धारित है कि अधिनियम के कार्यान्वयन से सम्बंधित सभी सूचना को सक्रिय रूप से पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा।

महात्मा गांधी नरेगा का वित्त पोषण :–

मूल सिद्धांत :–

मनरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। निधियों के

केन्द्रीय अंश की रिलीज सहमत श्रम बजट (एलबी) (केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच) में मजदूरी की मांग के अनुमान पर आधारित है। इस प्रकार केन्द्रीय रिलीज पूर्व–निर्धारित बजट आवंटन की बजाय जिला/राज्य विशिष्ट अनुमानित श्रम मांग प्रस्तावों पर आधारित है।

मनरेगा के अंतर्गत निधियों का केन्द्रीय शेयर सामान्य दो स्तर में जारी किया जाता है। हालांकि केन्द्रीय अंश की 1 किस्त (अपफ्रंट धनराशि सहित) सहमत श्रम बजट के अनुसार आनुपातिक निधि आवश्यकता पर आधारित होती है ताकि वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों की आवश्यकता पूरी की जा सके बशर्ते कि पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित कुल निधि का अधिकतम 50 प्रतिशत है। दूसरी किस्त की रिलीज वर्ष के दौरान सहमत श्रम बजट की तुलना में (1) खर्च न किया गया बकाया तथा (2) वास्तविक निष्पादन पर आधारित है।

महात्मा गांधी नरेगा कार्यों का गुणवत्ता प्रबंधन :–

महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के गुणवत्ता प्रबंधन की जरूरत :–

महात्मा गांधी नरेगा का अहम उद्देश्य टिकाऊ परिसम्पत्ति का सृजन करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका को बढ़ावा देना है। चूंकि महात्मा गांधी नरेगा के जरिए काफी धनराशि (हर वर्ष लगभग 40,000 करोड़ रूपए) खर्च की जा रही है, यदि इस कार्यक्रम को कारगर ढंग से चलाया जाए तो इसमें टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करके ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बदलाव लाने की क्षमता है, जिससे न केवल ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का काफी विकास भी होगा। अतएव महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सृजित की जा रही परिसम्पत्तियों की अच्छी गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था से इस उद्देश्य की प्राप्ति में मदद मिल सकती है।

चूंकि महात्मा गांधी नेरगा के अंतर्गत भारी संख्या में कार्य किए जाते हैं, इसलिए उपयुक्त गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था तैयार करना गम्भीर चुनौती है। हालांकि स्वतंत्र निगरानी के लिए बाहरी निगरानीकर्त्ताओं की सेवाएं ली जा सकती हैं फिर भी वास्तव में गुणवत्ता उपलब्ध कराने के लिए इस प्रणाली को व्यापक पैमाने पर आंतरिक कर्मचारियों पर निर्भर करना होगा।

गुणवत्ता प्रबंधन के उद्देश्य :–

गुणवत्ता प्रबंधन के दोहरे उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. सुनिश्चित करना की सृजित परिसम्पत्तियां अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। इसका अर्थ यह है कि परिसम्पत्ति अपने स्थान, रूपरेखा, प्रचालनात्मक प्रबंधन और रखरखाव की दृष्टि से अपने प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो और

2. सुनिश्चित करना कि परिसम्पत्ति टिकाऊ हो अर्थात् परिसम्पत्ति का निर्माण, रूपरेखा, सामग्री और शिल्प की दृष्टि से उत्तम इंजीनियरी मानकों के अनुरूप किया जाए।

गुणवत्ता प्रबंधन : महात्मा गांधी नरेगा के विशिष्ट संदर्भ :–

यद्यपि महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में अनेक प्रक्रियाएं (और उनमें भी उप प्रक्रियाएं) हैं जैसे कि मांग का पंजीकरण, कार्यों की आयोजना, कार्यों का निष्पादन, मजदूरी का भुगतान इत्यादि लेकिन यह अध्याय कार्यों के निष्पादन से सम्बंधित कार्यकलापों की गुणवत्ता के पहलुओं तक सीमित है। इन पहलुओं में परियोजना का चयन, स्थान का चयन, सर्वेक्षण, परियोजना रूपरेखा आकलन, कार्य निष्पादन, पर्यवेक्षण इत्यादि शामिल हैं। उपर्युक्त पैरा 2 में सूचीबद्ध कार्यकलाप ऊपर दर्शाए गए कार्यकलाप के संदर्भ में पढ़े जाएंगे।

गुणवत्ता प्रबंधन के तीन विशिष्ट पहलू इस प्रकार हैं :–

1. कार्य स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण

2. गुणवत्ता पर्यवेक्षण, और

3. गुणवत्ता निगरानी।

पहला पहलू आंतरिक है। दूसरा पहलू बाहरी है। यह उस पर्यवेक्षण का हिस्सा है जो सम्पत्ति पर स्वामित्व की भावना के साथ हितधारकों की ओर से अपनायी जाने वाली एक समवर्ती प्रक्रिया है। तीसरा पहलू निगरानी है जो स्पष्ट रूप से एक बाहरी प्रक्रिया है और यहाँ स्वामित्व परिसम्पत्ति के स्तर पर नहीं बल्कि परिणाम के स्तर पर होता है।

हमेशा गुणवत्ता की भी अपनी लागत होती है और उद्देश्य परिसम्पत्ति के उद्देश्यों, जीवन चक्र परिसम्पत्ति न होने पर न मिल पाने वाले अवसरों की लागत को उपयुक्त रूप से परिचालित करके लागत का अधिकतम उपयोग करना है।

चूंकि गुणवत्ता प्रबंधन कार्य निष्पादन एवं पर्यवेक्षण चरणों में कम होती है, इसलिए निगरानी के स्थान पर इन चरणों को तरजीह दी जानी चाहिए।

श्रमिकों को संगठित करना :–

श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत प्रदत्त अधिकार (एंटाइटेलमेंट) दिलाने के लिये उन्हें योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। श्रमिक समूहों में संगठित होकर मनरेगा में सुधार लाने के लिये कारगर तरीके से मांग उठा सकते हैं। यही नहीं, वे साझे हितों के लिये सामूहिक कार्य कर सकते हैं।

श्रम समूहों के उद्देश्य :–

मनरेगा के कार्यकर्त्ताओं को संगठित करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. काम की माँग करना और सुनिश्चित करना कि यह आवश्यकता की अवधि के दौरान समय पर प्रदान की जाए।

2. मौजूदा स्त्रोतों से अधिकाधिक कार्य हेतु स्थानीय रोजगार की योजना में सुधार और रिक्तताओं को पाटने के लिये मनरेगा के 100 दिनों के प्रदत्त अधिकार (एंटाइटेलमेंट) को जोड़ना।

3. गांव के आस–पास विभिन्न रोजगार के अवसरों तक सामूहिक रूप से पहुँच हासिल करना।

4. कार्य स्थल के वातावरण और वहां की सुविधाओं में सुधार।

5. मनरेगा के पदाधिकारियों के साथ संवाद और विभिन्न मुद्दों का समाधान, खासतौर पर शिकायतों का निवारण।

6. यह सुनिश्चित करना कि मनरेगा की सभी प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है और एमजीएनआरईजीएस के तहत प्रदत्त अधिकार दिये जा रहे हैं।

7. अपने रोजगार से जुड़े विभिन्न काम करते हुए पारस्परिक सहायता की संस्कृति को बढ़ावा देना।

8. विभिन्न विकासात्मक और कानूनी पात्रताओं के बारे में जागरूकता निर्माण और उन तक पहुंच हासिल करने के लिए क्षमता का विकास करना।

9. विभिन्न स्थानीय सहभागी कार्यों में विशेष रूप से ग्राम सभा में सामूहिक रूप से आवाज उठाने के लिए गरीबों को सक्षम करना।

10. कौशल विकास की एक प्रक्रिया का उत्प्रेरणा, ताकि समय के साथ–साथ मजदूर लोग शारीरिक श्रम से निकल कर अर्धकुशल और कुशल कार्य में गतिशील हो सकें।

11. स्थानीय सार्वजनिक कार्यवाई के लिए सामाजिक पूंजी और क्षमता का विकास करना।

12. सामाजिक लेखा–परीक्षा का सुदृढ़ीकरण योग्यता।

योग्यता :–

केवल वे श्रमिक सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने पिछले साल 15 दिनों के लिए काम किया हो।

संगठन :–

1. आत्मीयता पर आधारित पड़ौसी समूह सहित एक संघीय संगठन का सुझाव दिया जाता है जिसमें 15 से 30 परिवार बुनियादी एकता के रूप में शामिल होंगे।

2. पड़ौसी समूहों को ग्राम पंचायत स्तर पर या आकार के आधार पर ग्राम पंचायतों के समूह के रूप में पंजीकृत श्रमिक सोसाइटी में संघबद्ध किया जा सकता है।

3. इसके अलावा, श्रमिकों की संख्या के आधार पर संगठन का एक मध्यवर्ती स्तर भी हो सकता है।

4. प्रत्येक स्तर पर श्रम बजट की योजना बनाने, गैर मनरेगा कार्यों की पहचान करने, तथा उन तक अभिगम, संगठनात्मक और वित्तीय मामले आदि जैसे कार्यों की देखरेख के लिए स्वंयसेवक हो सकते हैं।

5. मनरेगा के कर्मचारी मुख्य व्यक्ति के तौर पर कार्यक्रम अधिकारियों के साथ मिलकर समूहों के गठन एवं उनके संचालन को सुगम बनायेंगे।

6. सभी श्रम समूह और उनके पदाधिकारियों के बारे में कम्प्यूटरीकृत डेटा बेस होगा।

7. श्रम समूहों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार किये जाने की जरूरत है।

श्रम समूह के कार्य :–

1. सुनिश्चित करें कि मनरेगा की पात्रताओं तक पहुँच पूरे मनोयोग से हासिल की जाए।

2. सुनिश्चित करें कि काम की गुणवत्ता वांछित स्तर की हो।

3. हर कार्यकर्त्ता को अपनी बेहतरीन प्रयास के लिए प्रेरित करें।

4. कदाचार के खिलाफ चौकसी करें और किसी भी कदाचार को अधिकारियों के ध्यान में लाएं।

5. सामूहिक रूप से शिकायतों का समाधान करें।

श्रम समूह के अधिकार :–

श्रम समूह को निम्नलिखित अधिकार होंगे –

1. उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में काम के विवरण और उनकी माप पाना।

2. सभी मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की पुष्टि करना।

3. व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों का समाधान।

4. मनरेगा से सम्बंधित मामलों पर लिखित जानकारी मांगना और पाना तथा योजना से सम्बंधित शंकाओं के प्रति भी लिखित जवाब प्राप्त करना।

5. न केवल मनरेगा के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण प्राप्त करना, बल्कि कौशल भी हासिल करना।

6. प्रति वर्ष 100 रूपए से अधिक सदस्यता शुल्क संग्रहित करना।

दायित्व (कर्त्तव्य) :–

1. जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि के मामले में बिना किसी भेदभाव के लोकतांत्रिक तरीके से और सम्मिलित रूप से कार्य करना।

2. समय–समय पर बैठकें होगी, महीने में कम से कम एक बार

3. निर्धारित रीति से खातों का अनुरक्षण।

4. निर्दिष्ट पद्धति से अभिलेखों का रखरखाव।

5. पारदर्शिता के साथ काम करना।

6. सदस्यों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना और विवादों को सुलझाना।

पंचायतों का सशक्तिकरण :–

मनरेगा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाना और स्थानीय प्रशासन में अधिक से अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी लाना है। मनरेगा संविधान के 73वें संशोधन के उद्देश्यों को साकार करने का प्रभावशाली कानूनी तंत्र एवं अवसर प्रदान करता है।

यह अधिनियम औपचारिक तौर पर यह घोषणा करता है कि पंचायत तीन स्तरों पर इस अधिनियम के तहत बनायी गयी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा योजना निर्माण का प्रमुख प्राधिकरण है और इस प्रावधान को पर्याप्त सुनिश्चित संसाधनों के जरिये समर्थन प्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि पंचायत इस अधिनियम का कार्यान्वयन करने वाले तंत्र से कहीं अधिक है, पंचायत के पास गरीबों की आजीविका सम्बंधी सुरक्षा को मजबूत करने के वांछित लक्ष्य को साकार करने के आंतरिक मूल्य है। ऐसे में यह जरूरी है कि पंचायत को मजबूत बनाने की विवेकपूर्ण कोशिश की जाये ताकि वर्णित भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को कुशलता एवं प्रभावी तरीके से निभा सके। इसके सर्वोपरि महत्व को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में उल्लेखित किया जा रहा है, हालांकि इनमें से कुछ बिन्दुओं के बारे में अन्य अध्यायों में विस्तार से वर्णन किया गया है। ये हैं –

1. पंचायतों को इस अधिनियम एवं इन दिशानिर्देशों के तहत विभिन्न स्तरों पर दी गयी भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम बनाने के लिये राज्य विस्तृत निर्देश जारी कर सकते हैं। ऐसा एक हैंडबुक के जरिये हो सकता है जिसे आसानी से समझा जा सके और जिसका इस्तेमाल निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी कर सकें।

2. मनरेगा के कार्यान्वयन के कारण पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर पड़ने वाले अतिरिक्त कार्यभार का मूल्यांकन ''कार्य अध्ययन'' के जरिये किया जा सकता है। इसके अनुसार पंचायतों को स्थायी पदों के सृजन अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से समुचित संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराये जा सकते हैं। राज्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि वैसे ग्राम पंचायतों को छोड़कर जहां मनरेगा के तहत मजदूरी की मांग बिल्कुल नहीं है, हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त हो। कार्यभार के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों या समूह को इंजीनियर या तकनीकी सहायक के रूप में तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जा सकती है।

मनरेगा के तहत पंचायतों को उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मचारी सम्बंधित पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण में काम करेंगे। पंचायत के पास अनुशासनात्मक अधिकार भी होंगे।

3. पूर्णकालिक/अनुबंध वाले कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों के एक समूह को कलस्टर फैसिलिटेशन टीम या स्वैच्छिक तकनीकी कोर उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इन्हें ग्राम पंचायतों की तकनीकी सहायता प्रणालियों के रूप में समझा जा सकता है और इन्हें इसके अनुसार ही काम करना है न कि एक समानांतर केन्द्र के रूप में।

4. अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए, सामुदायिक संसाधन कर्मचारियों को तकनीकी और लेखा दोनों तरह से ग्राम पंचायत के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्हें स्वंय सहायता समूहों से लाया जा सकता है और उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिये जा सकते हैं और आवश्यक शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।

5. प्रशासनिक लागत के लिए 6 प्रतिशत का प्रावधान पंचायतों के अनुकूल होना चाहिए और इसी के अनुसार कर्मचारी, स्टेशनरी खरीद और इसी तरह के अतिरिक्त व्यय को पूरा किया जाना।

6. राज्य को निम्न बातों का ध्यान रखते हुए एनआरएलएम के एक भाग के रूप में ग्राम पंचायतों और एनआरएलएम के हिस्से के तौर पर उभरने वाले एसएचजी के नेटवर्क के बीच एक औपचारिक साझेदारी कायम करने के लिये काम करना चाहिए।

★ जागरूकता पैदा करना।

★ श्रमिकों को गतिशील बनाना।

★ काम के लिये भागीदारी की योजना बनाना।

★ सहकर्मी प्रदान करके कार्य का प्रबंधन करना।

★ सामुदायिक संसाधन वाले लोग उपलब्ध कराना।

★ समुदाय आधारित निगरानी करना।

राज्य इस साझेदारी के प्रत्येक तत्व को कार्यान्वित करने पर विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर सकता है।

7. मनरेगा के तहत गठित श्रम समूहों को ग्राम पंचायतों और मध्यवर्ती पंचायतों के साथ सहयोग से काम करना चाहिए।

8. विकेन्द्रित नियोजन की प्रक्रिया श्रम बजट की तैयारी के साथ स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, यहां तक कि श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत किया जाना चाहिए।

9. इन प्रक्रियाओं को मनरेगा की प्रक्रियाओं के साथ राज्य पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के साथ संगत बनाने की जरूरत है। विस्तृत ऑपरेटिव सिस्टम को निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ कवर किया जा सकता है :

★ विभिन्न प्रकार के अनुमोदनों के अनुसार

★ रिकॉर्ड और रजिस्टरों का रखरखाव

★ प्रबंध

★ लेखा

★ पारदर्शिता और खुलासे

★ लेखा परीक्षा

10. मनरेगा की प्रगति की समीक्षा पंचायत के प्रत्येक स्तर पर महीने में एक बार की जानी चाहिए।

11. पंचायतों को इस योजना के विभिन्न पहुलओं पर जानकारी पाने के लिए और संदेहों को स्पष्ट करने के लिए हेल्पलाइन के साथ एसआईआरडीएस में एक सहायता डेस्क स्थापित की जा सकती है।

12. पंचायतों के लिए जिला स्तर पर एक औपचारिक शिकायत निवारण प्रणाली बनायी जा सकती है।

13. प्रगति की समीक्षा करने और समस्याओं का निवारण करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी के स्तर पर ग्राम पंचायतों और डीपीसी के स्तर पर मध्यवर्ती और जिला पंचायतों की मासिक बैठक आयोजित की जा सकती है।

14. वर्ष के एक बार कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा सामाजिक लेखा जैसे सत्रों का आयोजन किया जा सकता है जिसमें ग्राम पंचायतों और मध्यवर्ती पंचायतों के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसी तरह के सत्र का आयोजन डीपीसी के द्वारा किया जा सकता है जिसमें मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों के सभी निर्वाचित सदस्यों को आमत्रित किया जाना चाहिए। इन सत्रों में योजना के सामाजिक लेखा की पद्धतियों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम अधिकारी और डीपीसी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रदर्शन का विस्तृत आंकलन किया जाएगा। इन सत्रों की एक समेकित रिपोर्ट जिला के लिए तैयार की जा सकती है और हर वर्ष 1 सितम्बर को वेबसाइट में अपलोड की जा सकती है।

15. एसआईआरडी सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और तीन स्तरीय पंचायतों के प्रमुख को शामिल करने के लिए एक प्रशिक्षण योजना तैयार कर सकता है।

इस योजना को चुनाव के तुरंत बाद तीन महीने के भीतर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल कवरेज को सुनिश्चित करना चाहिए और उसके बाद विषयगत पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन हर साल की जरूरत के अनुसार किया जाना चाहिए।

इन दिशा निर्देशों को व्यवस्थित और राज्य विशिष्ट तरीके से लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि हर राज्य मनरेगा का उपयोग कर और इसे प्रकाशित कर पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए व्यापक कार्य योजना विकसित करे।

किसानों की आजीविका में सुधार :–

मनरेगा योजनाओं ने ग्रामीण सम्पर्क और खेती के क्षेत्रों में पहुंच में सुधार किया और परिणामस्वरूप भीतरी प्रदेशों के क्षेत्रों के किसान बेहतर विपणन सुविधाओं को प्राप्त कर सके और उनकी आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार देखा जा सकता है। विशिष्ट उदाहरण है नागांव जिले में धान के प्रापण पर मनरेगा योजना का अप्रत्यक्ष प्रभाव जहां किसान अपने उत्पाद स्थानीय व्यापारियों को बेचा और न्यूनतम मूल्य प्राप्त किया करते थे। प्रभाव सकारात्मक है तथा और अधिक किसान अपनी पेदावार को बेचने के इच्छुक हैं और इस वर्ष भी जिला प्रशासन जिले में सभी धान उपजाने वाले क्षेत्रों को आवृत्त करते हुए और अधिक खरीद केन्द्रों को खोलने की योजना बना रहा है।

कृषि क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में मनरेगा योजना के माध्यम से वृद्धि :–

मनरेगा से सम्बंधित सूक्ष्म और लघु सिंचाई योजनाओं के अच्छे उत्थापन के फलस्वरूप सिंचाई और अन्य सुविधाओं में वृद्धि के साथ एकल फसल पैटर्न से दोहरे फसल पैटर्न में एक स्थिर वृद्धि हुई है। अधिकतम लाभ गर्मियों की धान की खेती वाले क्षेत्रों के लिए है, जहाँ किसान उन्नत उपज देने वाली किस्मों और संकर

प्रजाति (हाईब्रिड) के साथ क्षेत्रों का ऊर्ध्वाधर विस्तार कर सकते हैं। चावल के सम्बंध में क्षेत्र विस्तार का प्रमुख योगदान गर्मियों में धान की खेती के माध्यम से स्पष्ट था जहां वास्तव में बाढ़ और सूखे का कोई खतरा नहीं है।

मनरेगा का प्रदर्शन (राष्ट्रीय अवलोकन) :–

भारत में मनरेगा के तहत किये गये प्रदर्शन का अवलोकन इस प्रकार है कि वित्त वर्ष 2006–07 में 3.78 करोड़ जॉब कार्ड जारी किये गये तथा 2.10 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया। इसी प्रकार 2013–14 में 12.72 करोड़ जॉब कार्ड जारी किये गये तथा 3.81 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया। 2006–07 में 90.5 करोड़ श्रम दिवस प्रदान किया, वहीं 2013–14 में 134.80 करोड़ श्रम दिवस प्रदान किया गया। इसमें से 2013–14 में 73.33 करोड़ (54 प्रतिशत) महिलाओं को श्रम प्रदान किया गया तथा 35 दिन प्रति परिवार के हिसाब से काम किया गया। 2013–14 में मनरेगा पर 33000 करोड़ बजट परिव्यय किया गया व 29885.92 करोड़ केन्द्रीय आवंटन हुआ। 111.64 लाख कार्य किये गये, 17832.19 करोड़ (76 प्रतिशत) मजदूरी पर खर्च किये गये। राजीव गाँधी सेवा केन्द्र के लिए 0.29 करोड़, तटीय क्षेत्र के लिए 0.00407 करोड़, ग्रामीण पेयजल के लिए 0.08757 करोड़ मछलीपालन के लिए 0.03508 करोड़, ग्रामीण स्वच्छता के लिए 25.12 करोड़, आँगनबाड़ी के लिए 0.00664 करोड़, खेल मैदान के लिए 0.00876 करोड़ रूपये व्यय किये। 2013–14 में रोजगार माँगने वाले परिवारों की संख्या 43759203 थी, जिसमें से 38126455 परिवारों ने रोजगार प्राप्त किया, जिनमें से 1314740 श्रमिकों ने 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया था। 2013–14 में 29885.92 करोड़ रूपये केन्द्र द्वारा दिये गये, जिनमें से 24848.75

करोड़ रूपये व्यय किये गये। इनमें से 17832.19 मजदूरी पर व्यय किये गये। 5770.78 करोड़ सामग्री पर व्यय किये गये। 1245.78 प्रशासनिक व्यय हुआ। इस प्रकार 2016–17 में कुल 13391632 काम लिये गये, जिन पर 26891341511 रूपये व्यय किये गये। 2015–16 में 134.67 करोड़ तथा 2016.17 में 137.56 करोड़ तथा 2017–18 में 180 करोड़ बजट दिया गया है। 2015–16 में 144.34 लाख दिन, 2016–17 में 157.64 लाख दिन, 2017–18 में अब तक 1.960 लाख दिन का कार्य किया गया, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 2015–16 में57.99, 2016–17 में 59.97 तथा 2017–18 में 63.34 प्रतिशत है। 2015–16 में 24533.37 करोड़, 2016–17 में 49073.46 करोड़ तथा 2017–18 में 10699. 76 करोड़ बजट केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया। 2016–17 में देश में कुल 262847 ग्राम पंचायतों को मनरेगा कार्य प्रदान किया, जिनमें से 257166 ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू किया गया।

राज्य की प्रगति :–

राजस्थान में 2015–16 में कुल 9896 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 8707 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य चल रहा है, जिसमें सबसे अधिक कार्य हनुमानगढ़ में 100 प्रतिशत अर्थात् सभी आवेदित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार 2014–15 में राजस्थान में कुल 9868860 परिवारों को जॉब कार्ड जारी हो चुका था, जबकि 3908607 परिवार रोजगार की माँग कर चुके हैं, जिनमें से 3400038 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है तथा मनरेगा के अन्तर्गत कार्य कर रहे परिवारों की संख्या 758709 है। कुल व्यक्ति दिवस 136086958 है। इनमें से 92321851 महिला है।

131561 परिवार 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर चुके हैं एवं 3162 परिवार भूमि सुधार/इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी है।

2014–15 में विशेष क्षेत्रों के लोग, जो 150 दिन का रोजगार कर चुके हैं, उन परिवारों की संख्या 124 है तथा 20351 दिवस का रोजगार कर लिया है। राजस्थान में 2016–17 में 9894 पंचायतों में से 9893 पंचायतों अर्थात् 99.99 प्रतिशत में कार्य चल रहा है।

जिले की प्रगति (2015–2016) :–

जिले में जॉब कार्डधारी परिवारों की संख्या 2014–15 (15 मार्च 2016) तक 330821 है तथा पंजीकृत परिवारों की संख्या 334586 है और इसमें 718693 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है तथा इस वर्ष के दौरान 17930 परिवारों के 47764 सदस्यों को जॉब कार्ड रद्द कर दिये गये हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान रोजगार के लिए मांग करने वाले परिवारों की संख्या 170650 है तथा इसमें 266692 व्यक्ति शामिल थे। रोजगार की पेशकश करने वाले परिवार 170575 तथा इसमें 266566 व्यक्ति थे। इसके उपरान्त सरकार ने श्रीगंगानगर जिले में 154181 परिवार के 221654 व्यक्तियों को 9565284 व्यक्ति दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसमें भरे हुए मस्टर रोल की संख्या 122114 थी। जिले में 100 दिन पूर्ण कर चुके परिवारों की संख्या 25449 है तथा 10409 कार्य चल रहे हैं। जिले में आयु वर्ग के हिसाब कार्य का लेखा–जोखा इस प्रकार है :–

18–30 वर्ष आयु के 19.61 प्रतिशत परिवारों ने पंजीकरण करवाया, जबकि 14.13 प्रतिशत व्यक्तियों ने रोजगार पाया। 31–40 वर्ष की आयु के 31.15 प्रतिशत परिवारों ने पंजीकरण करवाया तथा 32.37 प्रतिशत व्यक्तियों

को रोजगार मिला। 41–50 वर्ष आयु के 22.47 प्रतिशत परिवारों ने पंजीकरण करवाया, जबकि 25.46 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। 51–60 आयु वर्ग के 14.3 प्रतिशत परिवारों ने पंजीकरण करवाया, जबकि 15.73 व्यक्तियों को रोजगार दिया। 61–80 वर्ष आयु वर्ग के 11.29 प्रतिशत परिवारों ने पंजीकरण करवाया, जबकि 11.67 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार दिया तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के 1.19 प्रतिशत परिवारों ने पंजीकरण करवाया, जबकि 0.64 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

जिले में मनरेगा के अन्तर्गत लाभार्थी विकलांग व्यक्तियों की संख्या 400 है। वित्त वर्ष 2015–2016 के अन्तर्गत 262 परिवारों को भूमि सुधार/इंदिरा आवास योजनाओं का लाभ दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान अनुसूचित जाति 140395, अनुसूचित जनजाति 929 तथा अन्य 189497 को कुल 330821 को जॉब कार्ड जारी हो चुका है।

अनुसूचित जाति को 5231000, अनुसूचित जनजाति को 28330, अन्य को 4305954,कुल 9565284 तथा महिला 6017947 कुल उत्पन्न व्यक्ति दिवस का रोजगार प्रदान किया गया है।

वित्त वर्ष 2015–16 में जिले में कुल 6125 कार्य शुरु किये गये, जिनमें से 1791 कार्य पूरे कर लिये गये। 4334 कार्य पूरे नहीं किये गये, कुल 29.24 प्रतिशत कार्य पूरे किये गये।

जिले में मनरेगा कर्मियों के 2227932 बैंक खाते हैं, जो कमिर्शियल बैंक, को–ऑपरेटिव बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में है।

वित्त वर्ष 2015–16 के लिए अवधि के अनुसार प्रदान किया गया रोजगार

1–10 के बीच उपस्थित दिन		11–20 के बीच उपस्थित दिन		21–30 के बीच उपस्थित दिन		31–40 के बीच उपस्थित दिन		41–50 के बीच उपस्थित दिन		51–60 के बीच उपस्थित दिन		61–70 के बीच उपस्थित दिन		71–80 के बीच उपस्थित दिन		81–99 के बीच उपस्थित दिन		100 दिनों की कुल उपस्थित	
कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस	कार्यरत परिवार	जनित व्यक्ति दिवस
7282	51873	13092	194858	13557	337141	12905	457927	13134	601039	11659	647758	11740	768669	12388	933687	32975	3029110	24346	2434600

उपलब्ध काराये गये रोजगार का स्वरूप											
अप्रैल परिवार	मई परिवार	जून परिवार	जुलाई परिवार	अगस्त परिवार	सितम्बर परिवार	अक्टूबर परिवार	नवम्बर परिवार	दिसम्बर परिवार	जनवरी परिवार	फरवरी परिवार	मार्च परिवार
5661	32687	68095	79317	70066	54634	33610	32595	57235	65700	70841	50988
कार्य मांग का स्वरूप											
7275	37325	74904	86357	77964	61191	47073	43574	68016	82802	95822	84514

स्त्रोत : मनरेगा प्रतिवेदन रिपोर्ट, 2016

2015–16 का बजट :–

जिले में 336 ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों के लिए 12632.09 लाख रूपये दिये गये, जिनमें से 12513.82 लाख रूपये खर्च किये गये तथा 118.26 लाख रूपये शेष बचे हैं।

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★